कार्यालय जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा (छ0ग0)

कार्यालय – 07856–
ई–मेल पता :– jp-dantewada.cg@nic.in

// ज्ञापन //

क्रमांक / 15 / ज0पं0 / मनरेगा / स्था0 / 2023–24 दन्तेवाड़ा 10/05/2023

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा0),
बचेली,
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

विषयः– ग्राम पंचायत भांसी के विशेष ग्राम सभा के संबंध में।

–000–

विषयान्तर्गत लेख है कि जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा के ग्राम पंचायत भांसी में दिनांक 25.04.2023 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया था जिसकी जानकारी तैयार कर उचित कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर सम्प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा

पृ.क्रमांक / 15 / ज0पं0 / मनरेगा / स्था0 / 2023–24 दन्तेवाड़ा दिनांक 10/05/2023

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर जिला, जिला –दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा0)दन्तेवाड़ा, –दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा

Shubham Office Depot ...

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत दंतेवाड़ा (छ. ग.)

विषय:- बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक -04 के विकास के सम्बंध मे ग्राम भाँसी मे आयोजित संयुक्त ग्राम सभा के कार्यवाही की सूचना बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आज दिनांक 05/04/2023 को बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक 04 के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध मे ग्राम पंचायत भाँसी व पोरोकोर्ली के लिए संयुक्त रूप से ग्राम भाँसी मे ग्राम सभा का आयोजन किया गया

अतः महोदय जी ग्राम सभा मे सर्वसहमति से पारित प्रस्ताव/कार्यवाही पंजी आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रस्तुत

प्रतिलिपि:-
(1) SDM कार्यालय बचेली
(2) तहसील कार्यालय बचेली

कम्प्यूटर सहायक
ग्राम पंचायत भांसी
जनपद पंचायत दंतेवाड़ा

संलग्न
आधार क्रेड कॉपी
[illegible]
(2)

एनएचडीसी/आरएचडीसी द्वारा भू-अधिग्रहण करने हेतु ग्राम सभा बाबत।

बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना डि-04 के विकास हेतु ग्राम भाँसी एवं चोलनार में भूमि अधिग्रहण/आवंटन के संबंध में।

विषय:- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दन्तेवाड़ा के आदेश क्रमांक [illegible] /वाचक/2023-24

दन्तेवाड़ा दिनांक [illegible]/2023 के अन्तर्गत श्री [illegible] रोजगार सहायक को दिनांक [illegible]/2023 ग्राम सभा हेतु अधिकृत नियुक्त किया गया।

ग्राम सभा के दिन ग्राम सभा में कुल मतदाता [illegible] में से [illegible] उपस्थित में है।

राजगार सहायक
ग्राम पंचायत भाँसी
जनपद पंचायत दंतेवाड़ा

सचिव
ग्राम पंचायत भाँसी
जनपद पंचायत दंतेवाड़ा

स्थान ....
दिनांक ....

आज दिनांक 21/[illegible]/2023 को ग्राम पंचायत भाँसी एवं [illegible] ग्राम [illegible] के [illegible] ग्राम भाँसी के बाजार शेड में [illegible] के अध्यक्षता के अनुपस्थिति एवं ग्राम चोलनार के [illegible] उपस्थिति में ग्राम सभा सदस्यों के उपस्थिति में ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुने गये अध्यक्ष श्री [illegible] की अध्यक्षता में ग्राम सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसमें बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना डि-04 के विकास हेतु ग्राम भाँसी एवं चोलनार में भूमि अधिग्रहण/आवंटन के संबंध में चर्चा किया गया जिसमें एनएमडीसी लिमिटेड के [illegible] अधिकारी [illegible] [illegible] एनएमडीसी लिमिटेड [illegible] द्वारा भूमि अधिग्रहण व मुआवजा राशि के संबंध में ग्राम सभा में जानकारी दी गई।

प्रस्ताव

1) मुआवजा :- [illegible]/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले परिवार ग्रामीण को सरकारी दर के दस गुना मुआवजा दिया जाए।

(2) जिनकी भूमि अधिग्रहण की जा रही है उन्हें मुआवजा के साथ परिवार को [illegible] क्रमांक [illegible] को उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरी प्रदान किया जाए।

ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

(2)

5. भवन मालिकों एवं व्यवसाय के संबंधित व्यापारी को विस्थापन में भी मुआवजा। आस-पास के N.C.L के 20 कि.मी. व्यास के अन्दर आने वाले ग्रामीणों को भी रोजगार नौकरी व जमीन देना होगा।

6. ग्राम-[illegible] पर प्रभा. भी ग्राम सभा को नौकरी, रोजगार नहीं [illegible] ग्राम सभा द्वारा विस्थापन के दौरान उनके जमीन के बदले मुआ[illegible] द्वारा किसी विस्थापन पर मुआवजे के तौर पर यह सब N.C.L को देना होगा। समस्त ग्राम [illegible] प्रभावित होने वाले किसान/भू[illegible] जमीन मिली उनको [illegible]

शिक्षा

N.C.L कुछ विद्यालय के क्षेत्र में कार्य किया [illegible] जिसमें [illegible] स्कूल, से लेकर हाई स्कूल, नवी कॉलेज जैसी उच्च शिक्षा हॉस्टल, सुविधाएं जैसे छात्रों को मुफ्त देने के पहले से ही इंतजाम कर देना होगा। तथा [illegible] समस्त ग्राम [illegible] तथा आदिवासी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए दिशानिर्देश दिया जाता रहेगा जिससे आदिवासी [illegible]

रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत भांसी
जनपद पंचायत [illegible]

ग्राम पंचायत भांसी

स्थान ....
तारीख ....

स्वास्थ्य

आस-पास के 10 K.m के अन्दर चिकित्सा सुविधा दिया जायेगा सुविधा युक्त चिकित्सालय खोला जाने वाले गाँव के [illegible] तथा पंचायत क्षेत्र के अन्दर की जायेगी।

बेरोजगारी / रोजगार

1) N.C.L परियोजना के ग्राम पंचायत अमेलिया वाले मूल निवासी को सभी वर्गों के पहली प्राथमिकता ज़िम्मेदारी स्वयं N.C.L को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक घर से किसी भी जाति व्यक्ति को नौकरी होगी इसके अतिरिक्त शिक्षित लोगों को जिम्मेदारी भी N.C.L आदमी सब आस पास से लाने के बाद क्षेत्र जिसके आवश्यकता रखना होगा प्राथमिकता दिया जाने की स्वयं की होगी जिसमें N.C.L सबसे निचले स्तर से कैटेगरी जिसमें 100% का सम्पूर्ण सुनिश्चित हो के भी रोजगार / स्वरोजगार दिलाने की स्वयं की होगी।

पंचायत सहयोग

2) पंचायत अमेलिया में मेला के 26 जनवरी, 15 अगस्त, कुम्भमेला तथा जयंती के लिए 30 लाख खर्च इस प्रति वर्ष जिसमें 15 अगस्त, 26 जनवरी, (छठपूजा), बंगाली [illegible] प्रति वर्ष दिया जाये।

उक्त सभा की मांग पर कम्पनि द्वारा राशि मांग [illegible] ये [illegible]
शेष राशि के सम्बन्ध में प्रबंधक से [illegible] अवगत कराने की बात की गई।

स्थान ....

तारीख ....

सरपंच
ग्राम पंचायत भांट
जनपद पंचायत देवसर

[illegible]

1. N.C.L के परियोजना में [illegible] वाले [illegible] ग्राम पंचायत [illegible] निवासियों [illegible] [illegible] पंचायत के [illegible] होगा। | [illegible]

2. N.C.L परियोजना के अन्दर [illegible] [illegible]। | N.C.L द्वारा [illegible]

3. N.C.L परियोजना के [illegible] [illegible] | [illegible] मूल रूप से [illegible] होगा।

4. [illegible] मूलभूत जिम्मेदार होगा [illegible] | [illegible] के लिए N.C.L [illegible] N.C.L को करना होगा।

5. इसके अतिरिक्त [illegible] N.C.L [illegible] | [illegible] पंचायतों द्वारा [illegible] N.C.L [illegible]

स्थान : ....

तारीख : ....

ग्राम पंचायत [illegible] एवं रबर मुद्रा
ग्राम पंचायत भांसी
जनपद पंचायत दंतेवाड़ा

सभी कामों पर अनुमति भाग ... सभा जुर्म
अन्यथा ...

(?) N.O.C. दे इसी एक ... का
रवेली मे अहमेमन्दी खाम-
व गंगावाड़ा, धनली, भानकी
किया जावे।

8. डिपोजिट 04 से जिन्हें भी
छोटी हैवदारी खनिजों के

9. ग्राम सभा या पंचायत से भी
होगा इसके बाद पंचायत
के लगेंगे गाड़ी मेवी (4 पहिया
वाहन सभी) की N.O.C. हो

10. श्री पी.के. ओ.ज. का बालक छात्रावास

11. ... पंचायत भवन
सुविधा के लेब हैं (नया भवन

... ग्राम
... करवायें।

संचालन कराना होगा जिसके कि
छात्रों के आवागमन के लिए जिले
कातेली के ... के लिए ...

डिपोजिट के अन्दर होने वाले ...
देना होगा।

ट्रैक्टर ... ... (...
... रूप से ...
वाहन ... हेतु 10 पहिया व
... लेना होगा।

जो भवन कि आवश्यकता है।

सर्व सुविधा युक्त जिसके केवी सभी

रोजगार सहायक/... के सचिव के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा
ग्राम पंचायत भांसी
जनपद पंचायत दंतेवाड़ा

स्थान : ...
दिनांक : ...

[illegible] एवं [illegible] ... [illegible]

... [illegible] सभासदों ... से [illegible] की भूमि [illegible] के लिए मुआवजा हेतु ... [illegible] को निम्नलिखित ... [illegible] क्रमांक ... [illegible] किया जाए

आवेदक/परियोजना हेतु अधिग्रहित ... व्यक्तियों के नाम एवं हस्ताक्षर

① [illegible] संचालक NCL

② [illegible] CEO NCL

(सील)

रोजगार सहायक
(सचिव) ग्राम पंचायत आंजी
जनपद पंचायत डोंगरगढ़

① [illegible] - [illegible]
② [illegible] - [illegible]
③ [illegible] - [illegible]
④ [illegible] - [illegible]
⑤ [illegible] - [illegible]
⑥ [illegible] - [illegible]

स्थान ....

दिनांक ....

ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर एवं रबर मुद्रा

NMDC-CMDC LIMITED

(A Subsidiary of NMDC Ltd.)

NCL

Regd Off : Greens Villey City, Housing Board Colony, Boriyakala, Sejbahar, Raipur 492015 (C.G.) Tel: 0771-2971919, Fax : 0771-2971920

CIN : U13100CT2008GOI020711

E-mail : ceonmdccmdc@gmail.com

No. NCL/Dep-4/Infra/2022/1310 **Date: 25.05.2023**

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू–अर्जन अधिकारी,
तहसील - बड़े बचेली
जिला – दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा,
छत्तीसगढ़.

विषय :– बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमाँक–4 के विकास हेतु तहसील बड़े बचेली के ग्राम भांसी में भूमि के अधिग्रहण / अर्जन बाबत।

संदर्भ :– 1. आपका पत्र क्रमांक 1589/अ.वि.अ./2023, दिनांक – 15/05/2023
2. कार्यालय कलेक्टर, जिला – दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का पत्र क्रमांक 3152/जि.ना./भू–अर्जन/2023, दिनांक – 19/05/2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमाँक–4 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों यथा स्क्रीनिंग सयंत्र, लोडिंग सयंत्र एवं रेलवे साइडिंग इत्यादि हेतु ग्राम–भांसी, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा में अवस्थित कुछ भूमि एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में अधिग्रहित / अर्जित करने की आवश्यकता है। इसके तारतम्य में आपके पत्र क्रमांक 1589/अ.वि.अ./2023, दिनांक – 15/05/2023 के माध्यम से परियोजना हेतु प्रस्तावित निजी भूमि के लिए छ0ग0 भू–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेजों एवं परियोजना के नक्शे के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

इस अनुरोध पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज आपके कार्यालय को 4 प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है –

- छ0ग0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 के नियम 3 के अनुसार सम्बंधित भूमि के भू–अभिलेख;
- छ0ग0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 के नियम 5 के अनुसार आठ बिन्दुओं के साथ परियोजना का प्रस्ताव;
- आवश्यक शपथ पत्र, उपाबंध (I,II,III), प्रमाण पत्र इत्यादि;

प.च. नाईक
25/5/23

- छ0ग0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 के नियम 4 के अनुसार भू-अर्जन के लिए प्रशासनिक सेवा शुल्क हेतु रुपये 24,51,334 /-, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रशासनिक व्यय हेतु रुपये 3,43,000 /- एवं सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु रुपये 5,00,000 /- अर्थात कुल रुपये 32,94,334 /- (बत्तीस लाख चौरानवे हजार तीन सौ चौंतीस रुपये मात्र) कलेक्टर दक्षिण बस्तर, दंतेवाडा के पी0डी0 अकाउंट में जमा करने के दस्तावेज।

  (टिप्पणी – परियोजना हेतु ग्राम भांसी के अतिरिक्त ग्राम पोरोकमेली में भी भू-अर्जन प्रस्तावित है, अतः उपरोक्त लिखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक राशि, ग्राम पोरोकमेली के लिए रुपये 18,11,402 /- एवं ग्राम भांसी के लिए रुपये 32,94,334 /- अर्थात कुल रुपये 51,05,736 /- एक ही चेक क्रमांक 494002534, दिनांक 25-05-2023 के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर – जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाडा में जमा किया गया है।)

परियोजना प्रभावी रूप से विकसित होने की अवधि लगभग 5 वर्ष होगी। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषय में आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करवाने का कष्ट करें। आगे की सभी आवश्यक सूचना और सहायता आपके द्वारा नियत/निर्धारित तारीख/समय पर प्रदान करा दी जायेगी।

भवदीय

प.ना. नाईक 25/5/23

(पद्मनाभ नाईक)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

xx(a)-Rav.(H)-A-7

[Subsidiary Rules 19 and 22 under Tresury Rule 10]

CHALAN OF MONEY PAID INTO THE TREASURY

(To be presented at the Treasury single or duplicate or triplicate as the case may be)

(खजाने में जिसको एक या दो या तीन नकलें जैसा कायदा हो पेश करना चाहिए)

By whom brought कौन लाया	On what Account किस बाबत्		Amount रकम	
				P.
कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक–4 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों यथा लोडिंग सयंत्र, रेलवे साइडिंग इत्यादि हेतु ग्राम–भांसी एवं पोरोकमेली में अवस्थित कुछ भूमि एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में अधिग्रहण करने हेतु राशि चालान द्वारा कोषालय के पी.डी. खाता में जमा करने बाबत्	Under Rupees (In words) जिसके रूपये की अक्षर **5105737.00**	**5105736**	**00**
योगः– (इक्यावन लाख पांच हजार सात सौ छत्तीस मात्र)		Total मीजान	**5105736**	**00**
***Head of Revenue – 8443 सिविल डिपोजिट** **Major Head – 106 व्यक्तिगत जमा खाता** Detailed Head		Detail- तफसील Notes नोटस् Cash नगदी	**Chek no- 222010** **Date- 25.05.2023**	
		Total मीजान	**5105736**	**00**

*CERTIFIED THAT the amount shown has been entered in the departmental register to the head of revenue deposit.

Signature as tenderer
दाखिल करने वाले के दस्तखत

Dated 2023

Deputy Collector
Departmental Officer

[FOR USE IN TREASURY]
[खजाने में इस्तेमाल के लिए]

Examined	Received	Entered
Initials of Accountant	Rs.(In figures) Rs.(In figures) Signature of Treasurer	Sinnature of Accountant

262563294

(23)

Dated ------------- 2023

Treasury Officer.

NMDC-CMDC LIMITED

(A Subsidiary of NMDC Ltd.)

NCL

[illegible]

E-mail: [illegible]

No. NCL/Dep-4/Infra/2022/1313 **Date: 25.05.2023**

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर (भू–अर्जन)
जिला – दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा,
छत्तीसगढ़.

विषय – बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक–4 के विकास हेतु तहसील बड़े बचेली के ग्राम भांसी एवं ग्राम पोरोकमेली में भूमि के अधिग्रहण बाबत।

संदर्भ :–

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू–अर्जन अधिकारी तहसील – बड़े बचेली का पत्र क्रमांक 1589 अ.वि.अ./2023, दिनांक – 15/05/2023
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू–अर्जन अधिकारी तहसील – बड़े बचेली का पत्र क्रमांक 1590 अ.वि.अ./2023, दिनांक – 15/05/2023
3. कार्यलय कलेक्टर का पत्र क्रमांक/3152/जि.ना./भू–अर्जन/2023 दंतेवाड़ा, दिनांक 19/05/2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमॉक–4 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों यथा लोडिंग सयंत्र, रेलवे साइडिंग इत्यादि हेतु ग्राम–भांसी एवं ग्राम–पोरोकमेली में अवस्थित कुछ भूमि एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में अधिग्रहण करने हेतु निवेदन किया गया था।

उपरोक्त के तारतम्य में संदर्भित पत्रों के माध्यम से परियोजना अंतर्गत प्रभावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु प्रशासनिक सेवा शुल्क/व्यय एवं सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की व्यय राशि कलेक्टर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के पी.डी. खाते में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपयुक्त के संबंध में धन राशि रु. **51,05,736/– (इक्यावन लाख पांच हजार सात सौ छत्तीस रुपये मात्र)** चेक क्रमांक – 222010 दिनांक– 25/05/2023 के माध्यम से कलेक्टर (भू–अर्जन) दंतेवाड़ा के नाम से तैयार कर आपकी ओर प्रेषित है।

भवदीय

(अमित कुमार सिंह)
उप–महाप्रबंधक (खनन)

प्रतिलिपि:–प्रबंध संचालक, सीएमडीसी लिमिटेड (सेक्टर–24) ब्लाक नंबर 7ए, तृतीय तल, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़) को सादर सूचनार्थ प्रेषित

A/C PAYEE ONLY

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank Of India

BACHELI BRANCH (03183)
DIST : DANTEWADA
CHHATTISGARH : 494 553
Tel 07857-231511 IFS Code : SBIN0003183

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
2	5	0	5	2	0	2	3

PAY COLLECTOR (LAND ACQUISITION). SOUTH BASTAR. DANTEWADA को या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES Fifty one lakh five Thousand Seven Hundred Thirty Six rupees only/- ———— अदा करें ₹ 51,05,736/-

खा. सं. A/c No. 10932466161

For N M D C LTD DEP-5 BACHELI

CURRENT A/C

Prefix : 1515600004

AUTHORISED SIGNATORY AUTHORISED SIGNATORY

Please Sign Above

MULTI-CITY CHEQUE Payable at Par at All Branches of SBI

⑈222010⑈ 494002534⑆ 000402⑈ 29

कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

ज्ञापन

क्रमांक/ 3152 /जि.ना./भू-अर्जन/2023 दन्तेवाड़ा दिनांक 19 /05/2023

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

एन.एम.डी.सी-सी.एम.डी.सी. लिमिटेड

रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :- बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक-4 के विकास हेतु तहसील बड़े बचेली के ग्राम भांसी एवं ग्राम पोरोकमेली में भूमि के अधिग्रहण बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक No. NCL/Dep-4/Infra/2022/1299 Date: 16.05.2023

----00----

संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके तहत् ग्राम-भांसी एवं पोरोकमेली तहसील बड़े बचेली का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके तहत बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक-4 के खनन क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में अनुषंगी गतिविधियों तथा लोडिंग संयत्र, रेलवे साइडिंग इत्यादि हेतु ग्राम-भांसी/पोरोकमेली की प्रभावित होने वाली निजी भूमि के अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु प्रशासकीय सेवा शुल्क/व्यय एवं सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की व्यय राशि जमा किये जाने हेतु कलेक्टर पी.डी. खाते का विवरण चाही गई है।

इस संबंध में लेख है कि उक्त राशि को मदवार चेक <u>कलेक्टर (भू-अर्जन) दन्तेवाड़ा</u> के नाम से तैयार कर भेजने का कष्ट करें। पी.डी. खाता में राशि ऑनलाइन जमा न होकर चालान के माध्यम से जमा किया जाता है।

अतः सूचनार्थ सादर प्रेषित ।

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

पृष्ठांक/3153 /जि0ना0/भू-अर्जन/2023 दन्तेवाड़ा, दिनांक 19/06/2020

प्रतिलिपि :-

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी बड़े बचेली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी एंव भू–अर्जन अधिकारी बडेबचेली, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा (छ0ग0)

Sdmbachell@gmail.com

// ज्ञापन //

क्रमांक 1510 अ.वि.अ. / 2023 बडेबचेली, दिनांक 15 मई 2023

प्रति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी., रायपुर

विषय – ग्राम पोरोकमेली में प्रस्तावित भूमि पर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में दस्तावेज एंव निर्धारित शुल्क / राशि जमा करनें विषयक।

— : 000 : —

उपरोक्तानुसार लेख है कि आपके द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप क्रमांक 04 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों हेतु ग्राम पंचायत गांसी के आश्रित **ग्राम पोरोकमेली** में स्थित विभिन्न मद अन्तर्गत निजी भूमि को एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड रायपुर के पक्ष में अधिग्रहण किये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

02. आवेदन पत्र के साथ प्रभावित निजी भूमि के संबंध में निम्नांकित दस्तावेज को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें –

1. छ0ग0 भू–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
2. शपथ पत्र, उपाबंध 1,2,3, सक्षमता प्रमाण पत्र, स्थानीय निकाय का प्रस्ताव, परियोजना संबंधी नक्शा एंव उपरोक्त दस्तावेज 4 प्रतियो में जमा करना सुनिश्चित करें।

03. परियोजना अंतर्गत प्रभावित भूमि के संबध में भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु (1) कुल अनुमानित मुआवजा राशि का 5 प्रतिशत राशि **9,04,402/–** (नौ लाख चार हजार चार सौ दो) रूपये मात्र प्रशासनिक सेवा शुल्क, (2) पुर्नवासन एंव पुर्नव्यवस्थापन प्रशासनिक व्यय की राशि **4,07,000/–** (चार लाख सात हजार) रूपये एंव (3) सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का व्यय राशि रूपये **5,00,000/–** (पांच लाख) रूपये मात्र कलेक्टर दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा के पी0डी0 खाते में जमा करावें।

अतएव उपरोक्त दस्तावेज एंव राशि दिनॉक 31.05.2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि भू–अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जा सके।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एंव
भू–अर्जन अधिकारी
बडेबचेली

पृ0 क्रमांक / 1510/1/अ.वि.अ. / 2023 बडेबचेली, दिनांक 15 मई 2023

प्रतिलिपि – 01 कलेक्टर एंव जिला भू–अर्जन अधिकारी, दक्षिण बस्तर, दन्तेवाडा की ओर सादर सूचनार्थ।
02 अपर कलेक्टर, दक्षिण बस्तर, दन्तेवाडा की ओर सादर सूचनार्थ।
03 तहसीलदार बडेबचेली की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एंव
भू–अर्जन अधिकारी
बडेबचेली

कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी एंव भू–अर्जन अधिकारी बड़ेबचेली,
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

Sdmbacheli@gmail.com

// ज्ञापन //

क्रमांक / 1591 / अ.वि.अ. / 2023 बड़ेबचेली, दिनांक 15 मई 2023

प्रति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी., रायपुर

विषय – ग्राम भांसी में प्रस्तावित भूमि पर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क / राशि जमा करनें विषयक।

— :: 000 :: —

उपरोक्तानुसार लेख है कि आपके द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप क्रमांक 04 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों हेतु ग्राम भांसी में स्थित विभिन्न मद अन्तर्गत निजी भूमि को एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड रायपुर के पक्ष में अधिग्रहण किये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

02. आवेदन पत्र के साथ प्रभावित निजी भूमि के संबंध में निम्नांकित दस्तावेज को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें :–

1. छ0ग0 भू–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
2. शपथ पत्र, उपाबंध 1,2,3, सक्षमता प्रमाण पत्र, स्थानीय निकाय का प्रस्ताव, परियोजना संबंधी नक्शा एवं उपरोक्त दस्तावेज 4 प्रतियों में जमा करना सुनिश्चित करें।

03. परियोजना अंतर्गत प्रभावित भूमि के संबंध में भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करनें हेतु (1) कुल अनुमानित मुआवजा राशि का 5 प्रतिशत राशि **24,51,334/–** (चौबीस लाख इंक्यावन हजार तीन सौ चौंतीस) रूपये मात्र प्रशासनिक सेवा शुल्क (2) पुर्नवासन एंव पुर्नव्यवस्थापन प्रशासनिक व्यय की राशि **3,43,000/–** (तीन लाख तिरालीस हजार) रूपये एंव (3) सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का व्यय राशि रूपये **5,00,000/–** (पाँच लाख) रूपये मात्र कलेक्टर दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा के पी0डी0 खाते में जमा करावें।

अतएव उपरोक्त दस्तावेज एंव राशि दिनॉंक 31.05.2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि भू–अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जा सके।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं
भू–अर्जन अधिकारी
बड़ेबचेली

पृ0 क्रमांक / 1589 / अ.वि.अ. / 2023 बड़ेबचेली, दिनांक 15 मई 2023

प्रतिलिपि :– 01 कलेक्टर एंव जिला भू–अर्जन अधिकारी, दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
02 अपर कलेक्टर, दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
03 तहसीलदार बड़ेबचेली की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एंव
भू–अर्जन अधिकारी
बड़ेबचेली

Points to be Certified by the concerned department applying for the acquisition

Sl.No.	Description		Remarks
1.	The land required for public purpose	:	Yes
2.	No Government land is available for the purpose	:	Yes
3.	The land is required permanently	:	Yes
4.	The land is marked in the land plan map is required in full	:	Yes
5.	The land is marked only as per actual required in full	:	Yes
6.	The land in question is not required for any other purpose	:	Yes
7.	The land is not interfering with any public right or semi–Government Department	:	Yes
8.	The purpose of acquisition with particulars of land in area, name of village, sufficient budget provision estimated amount mentioned	:	Yes
9.	The lands belong to private holders as shown in the land plan and the Khasra (to be enclosed)	:	Yes
10.	There is no religious building temple grave yard or any other moments within the area proposed for acquisition	:	Certificate enclosed
11.	Is there any alternative for the proposal (by providing alternatives land etc.)	:	No
12.	The land is to be acquired urgently for reasons to be mentioned	:	Yes
13.	It will not cause any inconvenience to the public and unnecessary expenditure on the part of the department	:	Yes
14.	Service Charge of Land Acquisition (5% of the compensation), Administrative Cost of Rehabilitation and Resettlement (5% of the Rehabilitation and Resettlement compensation) and cost for Social Impact assessment study deposited.	:	Yes
15.	Any related Government Order to be enclosed	:	Yes

प.ना. नाईक 25/5/23

(पद्मनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू–अर्जन अधिकारी,
तहसील - बड़े बचेली
जिला – दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा,
छत्तीसगढ़.

विषय :– छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम, 2016 के नियम 5 के अनुसार प्रस्ताव के साथ जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि अपेक्षक निकाय को नियम 4 एवं नियम 5 के उपबंधों के सम्यक रुप से पालन करने के पश्चात निम्नलिखित जानकारी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाना है-

(एक) लोक प्रयोजन जो ऐसे अर्जन द्वारा पूरा किया जाना है:

एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड, जो कि एनएमडीसी (भारत सरकार का उपक्रम) एवं सीएमडीसी (छत्तीसगढ़ राज्य का उपक्रम) का एक संयुक्त उद्यम है, का गठन 19 जून 2008 को क्रमशः 51% एवं 49% अंशधारिता के साथ किया गया था। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न खनिजों परियोजनाओं का विकास करना है। बैलाडीला लौह अयस्क क्रमांक – 4 का विकास भी एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के द्वारा किया जाना है।

खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक जीएसआर 697, दिनांक 30/09/2019 के अनुसार बैलाडीला लौह अयस्क खान क्रमांक – 4 का 646.596 हेक्टेयर क्षेत्रफल एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में खनिज पूर्वेक्षण / खनन हेतु आरक्षित किया गया था। पश्चात में एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के आवेदन के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 2/20/2005/12, दिनांक 26/06/2021 द्वारा एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में खनन पट्टे हेतु आशय पत्र जारी किया गया था।

आशय पत्र में जारी शर्तों के आधार पर खनन पट्टे के प्रस्तावित 646.596 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 570.100 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं खनन पट्टे के बाहर 100.077 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु वन भूमि (बैलाडीला आरक्षित वन क्षेत्र) के व्यपवर्तन के लिए आवेदन वन विभाग को प्रस्तुत किया जा चुका है।

बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक–4 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों यथा स्क्रीनिंग सयंत्र, लोडिंग सयंत्र एवं रेलवे साइडिंग इत्यादि हेतु ग्राम–भांसी, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा में अवस्थित कुछ भूमि एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के

पक्ष में अधिग्रहित / अर्जित करने की आवश्यकता है, जिस हेतु यह प्रस्ताव जमा किया जा रहा है।

(दो) ऐसे परिवारों की संख्या का प्राक्कलन, जो अर्जन से प्रभावित हैं:

प्रथम दृष्टया, भू–अर्जन से ग्राम भांसी में परियोजना के लिए आवश्यक राजस्व भूमि में लगभग 2 परिवार एवं आरक्षित वन क्षेत्र में लगभग 8 परिवार प्रभावित होंगे।

(तीन) शासकीय भूमि, मकान तथा अन्य आस्तियां जो अर्जन से प्रभावित हैं:

इस अर्जन से ग्राम भांसी में लगभग 0.923 हे. शासकीय भूमि एवं उनमें अवस्थित वृक्ष प्रभावित होंगे। प्रभावित शासकीय भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे0)	प्रस्तावित रकबा (हे0)
1.	67/1	0.486	0.486
2.	60	10.886	0.437
	योग		**0.923**

(चार) निजी भूमि, मकान तथा अन्य आस्तियां जो अर्जन से प्रभावित हैं:

इस अर्जन से ग्राम भांसी में लगभग 4.831 हे. निजी भूमि, आरक्षित वन क्षेत्र में लगभग 6.434 हे. क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार पट्टे एवं उनमें अवस्थित लगभग 7 मकान, 1 नलकूप एवं कुछ वृक्ष प्रभावित होंगे।

प्रभावित निजी राजस्व भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे0)	प्रस्तावित रकबा (हे0)
1.	68/1	0.905	0.905
2.	71/1/ज्ञ	3.087	3.087
3.	71/4	0.304	0.304
4.	60/1/क	14.407	0.535
	योग		**4.831**

आरक्षित वन क्षेत्र में प्रभावित वन अधिकार पट्टों का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	वन कक्ष नंबर / वन अधिकार मान्यता पत्रक क्र.	कुल रकबा (हे0)	प्रस्तावित रकबा (हे0)
1.	RF 1824 / 0221390	2.006	0.270
2.	RF 1824 / 0221391	1.900	1.900
3.	RF 1824 / 0221392	2.100	0.090

4.	RF 1824 / 0221395	0.400	0.400
5.	RF 1824 / 0189405	1.437	1.437
6.	RF 1824 / 0189385	1.469	1.469
7.	RF 1824 / 0189411	0.538	0.538
8.	RF 1811 / 0189410	2.023	0.330
	योग		**6.434**

(पाँच) अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र प्रस्तावित परियोजना के लिए न्यूनतम क्षेत्र है:

पर्यावरण स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 30/11/2021 को प्रस्ताव संख्या IA/CG/MIN/241426/2021 के माध्यम से भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF&CC) को प्रस्तुत किया गया था। खनन परियोजनाओं के पर्यावरण मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 14/12/2021 की अपनी 43वी बैठक में खनन कार्य के लिए दो अलग–अलग आवेदन खनन क्षेत्र के अंदर एवं खनन क्षेत्र से बाहर अनुषंगी गतिविधियों के लिए प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त निर्देशानुसार फिर से पर्यावरण स्वीकृति के लिए खनन क्षेत्र के लिए आवेदन क्रमांक IA/CG/MIN/251288/2022 दिनांक 14/01/2022 तथा खनन क्षेत्र के बाहर अनुषंगी गतिविधियों के लिए आवेदन क्रमांक IA/CG/IND/251437/2022 दिनांक 14/01/2022 के रूप में दो अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत किए गए।

उपरोक्त प्रस्तुत किए गए खनन क्षेत्र के बाहर अनुषंगी गतिविधियों के लिए आवेदन क्रमांक IA/CG/IND/251437/2022 दिनांक 14/01/2022 में कुल 195.537 हेक्टेयर जमीन की मांग की गई थी जिसमें 100.077 हेक्टेयर वन क्षेत्र तथा 95.46 हेक्टेयर राजस्व भूमि थी।

MoEF&CC द्वारा खनन क्षेत्र के बाहर अनुशंगी गतिविधियों हेतु जारी संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference) IA-J-11011/23/2022-IA-II(IND-I) दिनांक 21/02/2022 के अनुसार लौह अयस्क बेनिफिसियेशन प्लांट के अवशेष को जल निष्कासन के बाद शुष्क अपवहन के लिए एक योजना प्रस्तुत करने को कहा गया।

संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference) की प्रस्तावित शर्त के अनुपालन हेतु एक नई तकनीक "प्रेशर फिल्टर" का पता लगाया गया जिसमे कि बड़े क्षेत्र में टेलिंग पौंड तथा स्लरी पाइपलाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एनसीएल ने इस नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वन क्षेत्र को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए न्यूनतम राजस्व भूमि का निर्धारण किया है। परिवर्तित योजना के अनुसार वर्तमान में परियोजना के खनन पट्टे के बाहर 100.077 हेक्टेयर भूमि आरक्षित वन क्षेत्र में तथा 22.4658 हेक्टेयर भूमि आरक्षित वन क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित है, जो की पूर्व में

निर्धारित भूमि से लगभग 73 हेक्टेयर कम है। अतः अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र प्रस्तावित परियोजना के लिए न्यूनतम क्षेत्र है।

(छः) इस संबंध में प्रमाण पत्र की परियोजना के लिए अनुकल्पी क्षेत्र (दूसरा) क्षेत्र उपलब्ध नहीं है:

प्रमाण पत्र संलग्न है ।

(सात) परियोजना के सामाजिक समाघात, उनके उपचार तथा उनकी संभावित लागतः

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु रुपये 5,00,000/- जमा करा दिए गए हैं ।

(आठ) परियोजना की लागत तथा उसके लाभों का तुलनात्मक अध्ययन

परियोजना की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4091.33 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के शुरू होने से निम्नलिखित बिंदुओं पर लाभ होने की प्रबल संभावनाएं हैं –

i. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसरः

इस परियोजना को एक स्टैंडअलोन परियोजना के रूप में विकसित करने के लिए अनुमानतः 700 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का अनुमान है, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	अत्यधिक कुशल	282
2.	कुशल	127
3.	अर्धकुशल	123
4.	अकुशल	168
	कुल	700

इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी परियोजना के आसपास के क्षेत्रों में रोजगार की असीम संभावनाएं उत्पन्न होंगी।

ii. आसपास के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसरः

जैसा कि किरंदुल तथा बचेली में मौजूदा शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं वैसे ही शिक्षा संस्थानों (केंद्रीय विद्यालय आदि) का निर्माण भी इस परियोजना के कारण नांसी के आसपास के क्षेत्र में होना सुनिश्चित है।

iii. बेहतर चिकित्सा सुविधाएं:

इस परियोजना में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित एक एकीकृत परियोजना चिकित्सालय की योजना भी सम्मिलित है। समय-समय पर आसपास के क्षेत्रों में

मेडिकल कैंप भी आयोजित किए जाएंगे । उचित संख्या में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित एंबुलेंस भी उपलब्ध कराई जायेंगी।

iv. **बेहतर आवागमन की सुविधाएं:**
इस परियोजना के क्रियान्वयन तथा क्रियाकलापों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए भविष्य में टाउनशिप का भी निर्माण किया जाएगा जिसमें की रहन–सहन की सुविधाएं जैसे कि स्कूल, अस्पताल, उद्यान, खेल के मैदान, व्यवसायिक स्थल, आदि विकसित किए जाएंगे। इस कारण परियोजना के निवासियों एवं आस पास के ग्रामीणों के रायपुर, जगदलपुर, दंतेवाडा इत्यादि नगरों तक आवागमन हेतु सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

इस परियोजना के शुरू होने से इस सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के रहन–सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, एवं रोजगार के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की असीम संभावनाएं निहित हैं।

उपरोक्त वर्णित सामाजिक लाभों के अलावा राज्य को राजस्व के रूप में प्रति वर्ष होने वाले वित्तीय लाभों का विवरण नीचे किया गया है –

- रॉयल्टी – 775.65 करोड़ रुपये
- डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड – 232.70 करोड़ रुपये
- नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट में योगदान – 15.51 करोड़ रुपये
- राज्य सरकार को 22.5% अतिरिक्त प्रीमियम – 1163.48 करोड़ रुपये
- पर्यावरण सेस – 15.75 करोड़ रुपये
- फारेस्ट परमिट फीस – 10.5 करोड़ रुपये

इसके अतिरिक्त परियोजना के खनन पट्टे के रजिस्ट्रेशन के समय राज्य सरकार को लगभग 88. 10 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन चार्जेज के रूप में मिलेगा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV), प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation), जैव विविधता संरक्षण योजना एवं वन्यजीव प्रबंधन योजना के लिए वन विभाग लगभग 261.84 करोड़ रुपये से लाभान्वित होगा ।

उपरोक्त में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एवं लौह अयस्क के ऊपर लगने वाले GST से होने वाले लाभ सम्मिलित नहीं है।

यह परियोजना एक राष्ट्रीय हित की परियोजना है। इस परियोजना के शुरू होने से राष्ट्र तथा राज्य के राजस्व में काफी बड़ा योगदान के अतिरिक्त परियोजना के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के कारण क्षेत्र का बहुमुखी विकास होगा ।

प.न. नाईक
25/5/23

(पद्मनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड

उपाबंध–I

1.	परियोजना का नाम	:–	बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 04
2.	गांव का नाम	:–	भांसी
3.	ग्राम पंचायत का नाम	:–	भांसी
4.	तहसील का नाम	:–	बड़े बचेली
5.	जिले का नाम	:–	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
6.	अर्जित की जाने वाली सर्वे संख्या	:–	निजी राजस्व भूमि – 68 / 1, 71 / 1 / झ, 71 / 4, 60 / 1 / क वन कक्ष नंबर / वन अधिकार मान्यता पत्रक क्रक् RF 1824 / 0221390, RF 1824 / 0221391, RF 1824 / 0221392, RF 1824 / 0221395, RF 1824 / 0189405, RF 1824 / 0189385, RF 1824 / 0189411, RF 1811 / 0189410
7.	अनुरोध के अधीन कुल क्षेत्र की सीमाएं	:–	
	पूर्व	:–	भांसी रेलवे स्टेशन से रेलवे कॉलोनी को जाती सड़क
	पश्चिम	:–	बैलाडीला आरक्षित वन क्षेत्र
	उत्तर	:–	भांसी रेलवे स्टेशन के समीप बिजली का सब–स्टेशन
	दक्षिण	:–	पोरोकमेली ग्राम
8.	कृषि और सिंचित बहुफसली भूमि का क्षेत्र	:–	प्रस्तावित क्षेत्र में एक फसली असिंचित भूमि लगभग 4-831 हेक्टेयर है ।
9.	कृषि और सिंचित बहुफसली भूमि को सम्मिलित करने का कारण	:–	दूसरी भूमि नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।
10.	भवनों और अन्य संरचनाओं टैंको कुओं वृक्षों आदि का ब्यौरा	:–	लगभग 7 मकान, 1 नलकूप एवं कुछ वृक्ष प्रभावित होंगे ।
11.	अर्जन हेतु धार्मिक भवनों शमशान घाटों या मकबरा आदि यदि कोई हो तो सम्मिलित करने का कारण	:–	प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।

प.ना. नाईक 25/5/23

(पद्मनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड

उपाबंध–II

परियोजना का नाम : बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 04

1.	विभाग या सरकार या कंपनी स्थानीय प्राधिकरण संस्था	:–	एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड
2.	अर्जक निकाय का शासकीय पदनाम	:–	एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड
3.	अर्जन का प्रयोजन (विस्तृत रुप से)	:–	खनन परियोजनाओं के अनुषांगिक गतिविधियों हेतु
4.	क्या सरकार या विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 2(1) के अधीन अपने उपयोग धारण और नियंत्रण के लिए अनुरोध किया गया है	:–	हाँ
5.	क्या अधिनियम की धारा 2(1) (क) से 2(1) (च) के अधीन अनुरोध दायर किया गया है	:–	हाँ
6.	क्या अधिनियम की धारा 2(2) (क) या (ख) के अधीन अनुरोध फाइल किया गया है	:–	नहीं
7.	अधिनियम की धारा 3 (ग) (I) से (vi) के अधीन उल्लिखित के अनुसार कितने कुटुम्ब प्रभावित है	:–	प्रस्तावित कुटुम्ब की संख्या लगभग 10 है ।
8.	क्या अधिनियम की धारा 40 के अधीन अनुरोध फाइल किया गया है	:–	निरंक
9.	यदि हां तो किस आधार पर	:–	निरंक
10.	क्या परियोजना के लिए भूमि को निजी बातचीत के द्वारा स्वामियों से अंशतः क्रय किया गया है	:–	निरंक
11.	यदि हां तो किस तारिख को एवं किन निबंधनों पर (कृपया बातचीत के निबंधनों का संक्षिप्त उल्लेख करे तथा इसकी प्रतिलिपि संलग्न करे)	:–	निरंक
12.	सरकार या विभाग या स्थानीय प्राधिकरण के मामले में परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन निर्गत होने की तारीख (प्रति संलग्न करे)	:–	परियोजना पब्लिक सेक्टर उपक्रम की है । परियोजना स्थापित करने के लिए एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड के बोर्ड के द्वारा परियोजना की "तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट" का अनुमोदन कंपनी की 48वीं बोर्ड मीटिंग में दिनांक 27.07.21 को प्रदान किया गया है।
13.	यदि अनुरोध सरकार या विभाग या स्थानीय प्राधिकरण के मामले में परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के छह सप्ताह के पश्चात् दायर किया गया है तो अनुरोध दायर करने में हुए विलम्ब का कारण	:–	निरंक
14.	जमीन पर कब्जा कब तक अपेक्षित है	:–	सदा के लिए

प.च. नाईक 25/5/23

(पदमनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड

उपाबंध–III

अर्जक निकायों द्वारा भूमि के भू अर्जन हेतु अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम : बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 04

1. प्रमाणित किया जाता है कि यह परियोजना जिसके लिए भूमि अर्जन किये जाने की मांग की गई है उस पर परियोजना स्थापित करने के लिए एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड के बोर्ड के द्वारा परियोजना की "तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट" का अनुमोदन कंपनी की 48वीं बोर्ड मीटिंग में दिनांक 27.07.21 को प्रदान किया गया है। (प्रति संलग्न है)।

2. परियोजना की अनुमानित लागत 4091 करोड़ रूपये है, और आवश्यक बजट को मंजूरी दे दी गई है और अर्जन के लिये निधियां उपलब्ध है।

3. अर्जन निकाय, भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारी/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय और जब कभी कलेक्टर द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाय, डिक्री के मामले में सम्पूर्ण रकम का संदाय करने की वचनबद्धता प्रकट करता है।

प.च. नाईक 25/5/23

(पद्मनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड

प्रमाण पत्र

पूर्व में किए गए पूर्वेक्षण/अन्वेषण के अध्ययनों के अनुसार बैलाडीला लौह अयस्क निकाय क्रमांक – 4 में लगभग 109.81 मिलयन टन लौह अयस्क का भंडार है। खनन एक "स्थान विशिष्ट" कार्य है तथा खनन केवल वहीं किया जा सकता है जहां अयस्क के भंडार मौजूद हैं। खनन पश्चात आर ओ एम को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए लोडिंग संयंत्र तक पहुंचाने के लिए डाउनहिल कन्वेयर, स्क्रीनिंग प्लांट, तथा लोडिंग प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता है, यह सभी संयंत्र मूलतः एक सीधी सीमा रेखा में होने चाहिए । चुंकि खनन पट्टा क्षेत्र पूरी तरह से वन क्षेत्र में ही स्थित है, उपरोक्त वर्णित अनुषंगी गतिविधियों के स्थापना हेतु इंजीनियरिंग डिजाइन की उपयुक्तता के अनुसार क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां, मौजूदा रेलवे लाइन से समीपता, ग्राउंड प्रोफाइल इत्यादि को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वन क्षेत्र को शामिल करते हुए निम्नलिखित विकल्प तलाशे गए –

I. **बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक – 4 के खनन पट्टे के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर:** इस दिशा में पाया गया कि बुनियादी ढांचे के लिए यह पूरी तरह से वन भूमि है और कोई रेलवे कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा स्वीकृत खनन पट्टे के पश्चिमी किनारे पर अपशिष्ट डंप प्रस्तावित किए गए हैं, तथा इस दिशा में संयंत्र स्थापित करने से डाउनहिल कन्वेयर, लौह अयस्क के भंडार के बीच से गुजर रहा है जिससे कि अयस्क के भंडार अवरुद्ध होने की संभावना है, जो कि भारत सरकार के खनिज संरक्षण हेतु बनाये गए नियमों के विरुद्ध होगा।

II. **बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक – 4 के खनन पट्टे के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर:** इस दिशा में पाया गया कि प्रस्तावित डाउनहिल कन्वेयर को स्थापित करने से, कन्वेयर को लौह अयस्क निकाय क्रमांक 10 को पार करना होगा जिसके कारण लौह अयस्क निकाय क्रमांक 10 के लौह अयस्क के भंडार के भी अवरुद्ध होने की संभावना है। यह पथ गैर डायवर्शन के लिए प्रस्तावित "ट्री फर्न" क्षेत्र को भी पार कर रहा है। एक और बाधा यह है कि इस विकल्प के चयन से बचेली में वर्तमान में स्थित

प.च. नाईक
25/5/23

लोडिंग प्लांट की वजह से, परियोजना क्रमांक 4 के लिए प्रस्तावित लोडिंग प्लांट के लिए उपलब्ध स्थान सीमित हो जाता है।

III. **बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक – 4 के खनन पट्टे के उत्तर पूर्व दिशा की ओर:** इस दिशा में अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि इस दिशा मे मौजूदा KK रेलवे लाइन के समानांतर होने की वजह से यह दिशा अनुषांगिक संयंत्रों हेतु उत्तम प्रतीत होती है। इस दिशा में डाउनहिल कन्वेयर, स्थापित करने हेतु आगे और तीन विकल्प तलाशे गए जिनकी चर्चा नीचे की गई है –

a. इस विकल्प में डाउनहिल कन्वेयर गैलरी प्रस्तावित करने से कन्वेयर गैलरी, लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 3, निक्षेप क्रमांक 6, निक्षेप क्रमांक 7, निक्षेप क्रमांक 8 एवं निक्षेप क्रमांक 9 को पार नहीं कर रहा है तथा किसी भी निक्षेप में कोई अवरोध पैदा नहीं कर रहा है। यह पथ, कन्वेयर गैलरी के लिए वांछित ढाल भी दे रहा है, तथा मौजूदा पुरानी सड़क को पहुंच मार्ग के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस पथ में कन्वेयर गैलरी की लंबाई 7692 मीटर आ रही है, तथा खनन पट्टे के बाहर डायवर्शन हेतु वन क्षेत्रफल 100.077 हेक्टेयर की जरूरत है जो कि सभी विकल्पों में सबसे न्यूनतम है।

b. इस पथ का चयन करने से डाउनहिल कन्वेयर गैलरी, लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 1 के क्षेत्र को पार कर रही है, जिससे कि इस निक्षेप की अवरुद्ध होने की संभावना है। इस पथ का चयन करने से नई पहुंच मार्ग का निर्माण करना पड़ेगा तथा कन्वेयर गैलरी की लंबाई 8602 मीटर आ रही है तथा खनन पट्टे के बाहर 102.391 हेक्टेयर वन क्षेत्र के डायवर्सन की आवश्यकता होगी।

c. इस पथ का चयन करने से डाउनहिल कनवेयर गैलरी, लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 7 तथा निक्षेप क्रमांक 8 को पार कर रही है जिससे कि इस निक्षेप क्रमांक 7 तथा 8 के अवरुद्ध होने की संभावना है। इस पथ का चयन करने से नयी पहुंच मार्ग का निर्माण करना पड़ेगा तथा कन्वेयर गैलरी की लंबाई 8652 मीटर आ रही है तथा खनन पट्टे के बाहर 101.241 हेक्टेयर वन क्षेत्र के डायवर्सन की आवश्यकता होगी।

प.च. नाईक
25/5/23.

उपरोक्त सभी विकल्पों का अध्ययन करने के पश्चात यह पाया गया कि खनन पश्चात अनुषांगिक गतिविधियो (डाउनहिल कनवेयर गैलरी, स्क्रीनिंग प्लांट तथा लोडिंग प्लांट) हेतु न्यूनतम वन क्षेत्र तथा राजस्व क्षेत्र को शामिल करते हुए एक ही सीमा रेखा में स्थापित करने हेतु सभी विकल्पों में से विकल्प क्रमांक iii (a) ही सर्वोत्तम है।

यदि परियोजना के लिए प्रस्तावित आधारभूत संरचना अन्यत्र कहीं दूसरी जगह स्थापित की जाती है तो लोडिंग प्लांट की दिशा, मौजूदा KK रेलवे लाइन के समीप / समानांतर नहीं होगी तथा यह स्क्रीनिंग प्लांट की सीमा रेखा में नहीं आएगा, तथा इंजीनियरिंग डिजाइन के मुताबिक वांछित ढाल जो इस पथ में प्राकृतिक रूप से निहित है नहीं मिलेगी एवं अतिरिक्त वन भूमि/राजस्व भूमि की भी जरूरत पड़ेगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं खनन के एक "स्थान विशिष्ट" कार्य होने के कारण यह सत्यापित किया जाता है कि परियोजना के लिए अनुकल्पी क्षेत्र (दूसरा) क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। यह भी सत्यापित किया जाता है की अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि इस परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि है और विकल्प में कोई बंजर भूमि जिसमे पड़त भूमि सम्मिलित है, परियोजना हेतु उपलब्ध नही हैं।

प.च. नाईक 25/5/23

(पद्मनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड

NMDC-CMDC LIMITED

(A Subsidiary of NMDC Ltd.)

NCL

Regd Off : Greens Villey City, Housing Board Colony, Boriyakala, Sejbahar, Raipur 492015 (C.G.) Tel: 0771-2971919, Fax : 0771-2971920

CIN : U13100CT2008GOI020711

E-mail : ceonmdccmdc@gmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 04 के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि में प्रथम दृष्टया कोई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कब्रिस्तान, शमशान भूमि नहीं आती है।

प.ना. नाईक 25/5/23

(पद्मनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड

NMDC-CMDC LIMITED

(A Subsidiary of NMDC Ltd.)

NCL

Regd Off : Greens Villey City, Housing Board Colony, Boriyakala, Sejbahar, Raipur 492015 (C.G.) Tel: 0771-2971919, Fax : 0771-2971920

CIN : U13100CT2008GOI020711

E-mail : ceonmdccmdc@gmail.com

सक्षमता प्रमाण पत्र

आवेदक एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ को दंतेवाड़ा जिले के बडे बचेली तहसील अंतर्गत आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 04 हेतु ग्राम भांसी के प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि क्षेत्र में भू–अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि का राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार जो भी राशि या लागत विभाग द्वारा तय की जावेगी, उसे जमा करने हेतु आवेदक संस्थान एन.एम.डी.सी. – सी.एम. डी.सी. लिमिटेड सक्षम है।

प. नाईक

(पद्मनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ

By Speed Post

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर–492 002

क्रमांक एफ 2–20 / 2005 / 12, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक जून, 2021
26 JUN 2021

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड(एनसीएल),
ग्रीन विले सिटी, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
सेजबहार, बोरिया कला, शदाणी दरबार के सामने,
एनएच–30, रायपुर, छत्तीसगढ़ –492 015.

विषयः– जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला, डिपॉजिट नं. 4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु–मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल)।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक No. NCL/HO/Dep-4/LEASE/2017/597, Date 09.10.2019.

जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर क्षेत्र में खनिज आयरन ओर का खनिपट्टा हेतु मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) द्वारा दिनांक 21.11.2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रश्नाधीन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

2.1 एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) एक संयुक्त उपक्रम की कम्पनी (JVC) है जिसमें एनएमडीसी एवं सीएमडीसी लिमि. का क्रमशः 51:49 की भागीदारी है। राज्य के स्पंज/स्टील उद्योगों की लौह अयस्क की आवश्यकता की आपूर्ति संबंधी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इस संयुक्त उपक्रम कम्पनी (JVC) द्वारा बैलाडीला डिपाजिट क्रमांक–04 का विकास किये जाने हेतु एनएमडीसी एवं सीएमडीसी मे मध्य सहमति हुई है और एक औपचारिक सहमति (मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग) निष्पादित किया गया है।

2.2 प्रश्नाधीन क्षेत्र में एनएमडीसी के पक्ष में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन के पत्र क. 4043/4381/12, दिनांक 03.09.1971 द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किया गया था। पूर्वेक्षण कार्य के आधार पर एनएमडीसी ने क्षेत्र पर 107 मिलियन टन लौह अयस्क के माइनेबल भण्डार प्रमाणित किये हैं।

2.3 एनएमडीसी द्वारा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के बैलाडिला स्थित डिपाजिट क्रमांक–4 के वन कक्ष क्रमांक 659, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 672 एवं 676, 778 (टोपोशीट 65 एफ/2) के क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 27.02.1991 प्रस्तुत किया गया, जिस पर निर्णय लेते हुए विभागीय पत्र दिनांक 30.09.2010 के माध्यम से पूर्वानुमोदन प्रस्ताव भारत सरकार, खान मंत्रालय को प्रेषित किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, खान मंत्रालय ने अपने पत्र कमांक 5/103/2010–M.IV, दिनांक 30.11.2011 द्वारा 20 वर्ष की अवधि के लिए खनिपट्टा स्वीकृत किए जाने हेतु एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा–5(1) के तहत पूर्वानुमोदन एवं धारा–6(1)(बी) के तहत् निर्धारित सीमा में छूट निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त के तहत प्रदान की गई :–

"There shall be no change in the equity ratio of 51:49 in the Joint Venture between M/s National Mineral Development Corporation Ltd. and M/s Chhattishgarh Mineral Development Corporation without the approval of the Central Government."

2.4 उपरोक्त के संदर्भ में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13.01.2012 द्वारा एनएमडीसी को खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आईबीएम द्वारा अनुमोदित मायनिंग प्लान एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् आवश्यक अनुमति वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु (LoI) लेख किया गया।

AGM(Mech), NCL 30/06/2021

2.5 एनएमडीसी ने पत्र दिनांक 13.08.2013 के माध्यम से भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र दिनांक 26.07.2013 द्वारा रकबा 646.596 हेक्टेयर क्षेत्र का अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया, किन्तु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वांछित वन एवं पर्यावरणीय अनुमति प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.6 विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13.01.2012 द्वारा जारी LoI के संदर्भ में एनएमडीसी द्वारा वन एवं पर्यावरणीय सम्मितियॉं आदि MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित 2015) की धारा–10A(2)(c) अनुसार निर्धारित तिथि 11.01.2017 तक प्रस्तुत नही की जा सकी। अतएव MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित 2015) की धारा–10A(2)(c) सहपठित खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम–8(4) के तहत् विषयक खनिपट्टा प्रकरण में खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी नही किया गया जो कि अधिनियम के उक्त प्रावधानों के तहत् स्वमेव समाप्त हो गया।

2.7 एनएमडीसी द्वारा उक्त के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के समक्ष प्रकरण क्रमांक W.P.(c) No. 100/2017., NMDC Ltd Vs UoI & Others दायर किया गया। एनएमडीसी द्वारा याचिका वापस लेने के कारण माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 21.04.2017 द्वारा उक्त रिट पिटिशन dismissed as withdrawn किया गया है।

2.8 संयुक्त उद्यम कम्पनी (JVC) एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) द्वारा उपर्युक्त क्षेत्र जिला बस्तर के बैलाडीला आयरन ओर डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर को MMDR Act, 1957(यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(1A) के तहत् खनिपट्टा स्वीकृति हेतु दिनांक 21.11.2019 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके संदर्भ में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 17.01.2018 द्वारा धारा–17A(1A) के तहत् उपर्युक्त क्षेत्र को एनसीएल के पक्ष में आरक्षित करने हेतु भारत सरकार, खान मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

2.9 भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 द्वारा मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पक्ष में MMDR Act, 1957(यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(1A) के तहत् बैलाडीला डिपॉजिट क्रमांक–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर के निम्नलिखित क्षेत्र को 05 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित किया गया है :–

खनिज का नाम	स्थिति	क्षेत्र	पिलर	अक्षांश	देशांतर
लौह अयस्क	बैलाडीला आरक्षित वन, निक्षेप सं. 4 जिला दक्षिण बस्तर, छत्तीसगढ़	646.596 हेक्टेयर	A	81°12'10.40"	18°43'45.70"
			B	81°13'10.80"	18°43'40.90"
			C	81°13'08.80"	18°43'05.90"
			D	81°13'05.50"	18°43'05.80"
			E	81°12'57.30"	18°41'27.70"
			F	81°12'28.80"	18°41'52.90"
			G	81°11'57.70"	18°41'58.70"

2.10 उक्त के संदर्भ में एनसीएल द्वारा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के बैलाडीला आयरन ओर डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर क्षेत्र को MMDR Act, 1957(यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(1A) के तहत् खनिज लौह अयस्क के खनिपट्टा स्वीकृति हेतु दिनांक 21.11.2019 को आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ ने अपने प्रस्ताव दिनांक 29.04.2020 द्वारा इस विभाग को प्रेषित किया।

2.11 उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 02.12.2020 द्वारा एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पक्ष में पैरा–2.9 की तालिका में उल्लेखित क्षेत्र पर MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(2A) के तहत 05 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया जाकर क्षेत्र में खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई है।

2.12 एनसीएल के द्वारा दिनांक 28.08.2020 को इस विभाग को पत्र प्रेषित कर प्रस्तावित LoI (खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आशय–पत्र) के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध किया गया कि विषयांकित क्षेत्र का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु जारी किये जाने वाले आशय पत्र में एनएमडीसी के द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र को किये गये डीजीपीएस सर्वेक्षण से प्राप्त को–ऑर्डिनेट्स एवं भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना में दर्शित को–ऑर्डिनेट्स में विभिन्नता पाये जाने के कारण तथा डीजीपीएस सर्वेक्षण से प्राप्त को–ऑर्डिनेट्स वैज्ञानिक व तकनीकि रूप से सामान्य को–ऑर्डिनेट्स से अधिक उपयुक्त एवं त्रुटियों से रहित होने के फलस्वरूप डीजीपीएस को–ऑर्डिनेट्स के आधार पर खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आशय पत्र जारी किये जाने हेतु इस विभाग से अनुरोध किया गया।

2.13 उक्त पत्र में निहित तथ्यों का परीक्षण किये जाने उपरान्त तथा जारी अधिसूचना व एनएमडीसी के द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र को डीजीपीएस को–ऑर्डिनेट्स में व्यापक भिन्नता होने के फलस्वरूप भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 में आवश्यक संशोधन हेतु विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.2019 के माध्यम से भारत सरकार, खान मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया तथा पुराने वन कंपार्टमेंट के स्थान पर नये वन कंपार्टमेंट नंबरों के आधार पर संशोधन करते हुए इस विभाग के प्रस्ताव पत्र दिनांक 26.12.2020 पर यथोचित कार्यवाही किये जाने हेतु विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 26.03.2021 द्वारा भारत सरकार, खान मंत्रालय को प्रेषित किया गया।

2.14 भारत सरकार, खान मंत्रालय के पत्र क्रमांक 4/2/200–M.VI, दिनांक 09.04.2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि इस विभाग के प्रस्ताव दिनांक 26.12.2020 एवं संशोधित पत्र दिनांक 26.03.2021 में निहित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 में आवश्यक संशोधन किया जाकर G.S.R. No. 119(E), दिनांक 18.02.2021 को संशोधित अधिसूचना जारी कर दिया गया है।

2.15 भारत के राजपत्र प्रकाशन G.S.R. No. 119(E), दिनांक 18.02.2021 को संशोधित अधिसूचना के परिपालन में मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी (एनसीएल) के पक्ष में MMDR Act, 1957 की धारा–17A(1A) के तहत् बैलाडीला डिपॉजिट क्रमांक–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर के निम्नलिखित क्षेत्र को 05 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क के पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन करने के लिए आरक्षित किया गया है :–

खनिज का नाम	स्थिति	क्षेत्र	पिलर	अक्षांश	देशांतर
1.	2.	3.	A	81°12'03.25650"E	18°43'38.32617"N
लौह अयस्क	बैलाडीला आरक्षित वन निक्षेप क्रमांक–4 जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ	646.596 हेक्टेयर	B	81°13'04.84428"E	18°43'38.52758"N
			C	81°13'06.24991"E	18°43'12.30677"N
			D	81°13'03.60782"E	18°43'12.27943"N
			E	81°13'07.02661"E	18°41'26.17920"N
			F	81°12'31.89279"E	18°41'48.22195"N
			G	81°12'02.90192"E	18°41'50.38796"N

2.16 एनसीएल के पत्र दिनांक 19.03.2021 के साथ वन मंडलाधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के पत्र दिनांक 26.02.2021 अनुसार खनिपट्टा स्वीकृति हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वनमंडल का नाम	वन कक्ष क्रमांक (पुराना)	वन कक्ष क्रमांक (नया)	कुल रकबा (हे. में)	खनिपट्टा हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	दक्षिण परिक्षेत्र बचेली	665	1832	273.155	9.052
2		664	1833	190.017	104.332
3		663	1686	368.585	45.239
4		662	1685	389.901	160.862
5		666	1834	212.612	140.372
6		659	1842	193.670	32.917
7		667	1841	316.004	153.310
8		676	1826	232.561	0.512
			योग	2176.505	646.596

3/ भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.02.2021 अनुसार शासकीय उपक्रम की कंपनी मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पक्ष में MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(1A) के तहत् बैलाडीला डिपॉजिट क्रमांक–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर क्षेत्र को 05 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क का पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन करने के लिए आरक्षित किया गया है। क्षेत्र में मेसर्स एनएमडीसी लिमि. के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत था। पूर्वेक्षण कार्य के आधार पर एनएमडीसी ने क्षेत्र पर 107 मिलियन टन लौह अयस्क के माइनेबल भण्डार प्रमाणित किये है। प्रश्नाधीन क्षेत्र में लौह अयस्क खनन हेतु भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर ने पत्र दिनांक 26.07.2013 द्वारा मायनिंग प्लान अनुमोदित किया गया है।

4/ अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पक्ष में पैरा–2.15 एवं 2.16 की तालिका में उल्लेखित क्षेत्र पर MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(2A) के तहत 05 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया जाकर क्षेत्र में खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

5/ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जारी की जा रही इस अनुमति से उपर्युक्त आवेदित क्षेत्र पर प्रवेश करने या खनन कार्य करने का कोई अधिकार कंपनी को प्राप्त नहीं होगा।

संलग्नः–नक्शा।

26/06/2021

(कुन्दन कुमार बंजारे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
खनिज साधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 2–20/2005/12, नया रायपुर, अटल नगर दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एफसी डिवीजन) पर्यावरण भवन सीजीओर काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, दूसरी मंजिल, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार ऑफिस कॉम्पलेक्स, पोस्ट विधान सभा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
5. महानिदेशक, सेफ्टी ऑफ माईन्स, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
6. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़।
7. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, खनिज भवन 10–3–311/ए, कैस्टल हिल्स मासाब टैंक, हैदराबाद।
8. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, जेल रोड, रायपुर।
9. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सोनाखान भवन, रिंग रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़,
10. कलेक्टर, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाडा, छत्तीसगढ़

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

11. गार्ड फाईल।

हस्ता/–
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

By Speed Post

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर–492 002

क्रमांक एफ 2–20/2005/12, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 MAY 2022

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड(एनसीएल),
ग्रीन विले सिटी, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
सेजबहार, बोरिया कला, शदाणी दरबार के सामने,
एनएच–30, रायपुर, छत्तीसगढ़–492015.

P. N. Sharma 17/05/2022
AGM(MAP)

विषयः– जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला, डिपॉजिट नं.–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु–मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल)।

संदर्भः– 1. इस विभाग का समसंख्यक आशय पत्र दिनांक 26.06.2021 तथा 07.08.2021.
2. आपका पत्र क्रमांक No. NCL/HO/Dep-4/Lease/2021/970, Date 16.12.2021.

---:0:---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के संदर्भित पत्र दिनांक 16.12.2021 के माध्यम से विभागीय पत्र दिनांक 26.06.2021 द्वारा जारी LoI के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति हेतु MoEF & CC में दिनांक 30.11.2021 को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिस पर MoEF & CC द्वारा ToR जारी करने हेतु दिनांक 14.12.2021 को एजेण्डा पॉइन्ट 1.4 के माध्यम से पॉवर पॉइंट प्रस्तुति को कहा गया उक्त प्रस्तुति के दौरान EAC कमिटी की अनुशंसा अनुसार विभाग द्वारा जारी LoI की अवधि जो 05 वर्ष है उसे MMDR, (Amenndment) Act, 2015 की धारा–8(A)(2) एवं खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 यथासंशोधित 2021 के नियम–73 के तहत 50 वर्ष का सांकेतिक अनुमोदन प्रदान करने जिससे वन एवं पर्यावरण स्वीकृति 50 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त की जा सके, बाबत् NCL द्वारा अनुरोध किया गया है।

2/ मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पत्र दिनांक 16.12.2021 के परिप्रेक्ष्य में जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला, डिपॉजिट नं. 4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु जारी विभागीय समसंख्यक आशय पत्र दिनांक 26.06.2021 तथा 07.08.2021 के अनुक्रम में एनसीएल के आवेदन दिनांक 16.12.2021 पर संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 11.03.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि एमएमडीआर एक्ट, 1957 (यथा संशोधित) की धारा–17A(2C) के तहत् राज्य शासन को खनिपट्टा स्वीकृति का अधिकार है। उक्त अधिनियम की धारा–17A(2A) एवं धारा–17A(4) के प्रावधानों के तहत् आरक्षण अवधि के भीतर खनिपट्टा स्वीकृत किया जाना है तथापि खनिपट्टा अवधि एमएमडीआर एक्ट, 1957 (यथा संशोधित) की धारा–8(A)(2) के तहत् परिभाषित होगी।

3/ एनसीएल के पत्र दिनांक 30.11.2021 के द्वारा भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक दंतेवाड़ा/लौह/खयो–1292/2021–रायपुर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा प्रश्नाधीन क्षेत्र बैलाडीला डिपॉजिट–4 का अनुमोदित माईनिंग प्लान (**Working proposal period**-From 1[st] Year To 5[th] Year) दिनांक 24.09.2021 को प्रस्तुत किया गया है।

4/ भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 18.02.2021 द्वारा NCL के पक्ष में लौह अयस्क के पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन के लिये डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र को धारा–17A(1A) के तहत 05 वर्षों के लिये आरक्षित किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्र दिनांक 02.12.2020 एवं संशोधित पत्र दिनांक 26.06.2021 द्वारा NCL के पक्ष में MMDR Act, 1957 (यथासंशोधित 2015) की धारा–17A(2A) के तहत 05 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया जाकर क्षेत्र में खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई है।

5/ शासकीय कपनी को क्षेत्र आरक्षण किये जाने हेतु एमएमडीआर एक्ट 1957 (यथासंशोधित) की धारा–17A(1A) के प्रावधान निम्नानुसार है :–

Reservation of area for purpose of conservation-

"17A(1A) "The Central Government may in consultation with the State Govermant, reserve any area not already held under any prospecting licence or mining lease, for undertaking prospecting or mining operation through a government company or corporation owned of controlled by it, and where it proposes to do so, it shall, by notification in the Official Gazatte, specify the boundrys of such area and the mineral or minerals in respect of which such area will be reserved."

उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना/प्रावधान अनुसार भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 18.02.2021 द्वारा NCL के पक्ष में लौह अयस्क के पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन के लिये प्रश्नाधीन क्षेत्र डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र को धारा–17A(1A) के तहत 05 वर्षों के लिये आरक्षित किया गया है।

6/ Ministry of Law and Justice द्वारा The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 में संशोधन करते हुए, The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021 जारी किया है, जो भारत का राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 28.03.2021 से प्रभावशील है जिसके अंतर्गत शासकीय कंपनियों को आरक्षण उपरांत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनिपट्टा अथवा कम्पोजिट लाइसेंस दिये जाने के संबंध में धारा–17A(2A) में निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किया गया है :–

Reservation of area for purpose of conservation-

17A(2A) "Where in exercise of the powers conferred by sub-section (1A) or sub-section (2), the central Government or the State Government, as the case may be reserves any area for undertaking prospecting or mining operations or prospecting operations followed by Mining operations, the State Government shall grant prospecting licence, mining lease or composite licence, as the case may be, in respect of such area to such government company or corporation within the period specified in this section:"

7/ एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा–8A(2) में खनिपट्टा अनुदत्त करने की कालावधि के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान दिये गये है :–

Period of grant of a mining lease for minerals other than coal, lignite and atomic minerals.

8A(2) "On and from the date of the commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, all mining lease shall be granted for the period of fifty years."

8/ Ministry of Mines द्वारा खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 में संशोधन करते हुए, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जारी किया गया है, जो भारत का राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 02.11.2021 से प्रभावशील है, जिसके अंतर्गत सरकारी कंपनियों को प्रदत्त खनन पट्टे की अवधि के संबंध में नियम, 73(1) में निम्नानुसार प्रावधान किये गये है :–

73 .Period of mining lease granted to Governmet companies or corporation on or after 12th January,- 2015

"(1) All mining leases granted to a Government company of corporation for minerals shall be for a period of fifty years."

9/ उपर्युक्त पैरा में वर्णित तथ्यों एवं एमएमडीआर एक्ट, 1957 (यथा संशोधित) की धारा–8A(2), धारा–17A(2A) तथा खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 के नियम, 73(1) के प्रावधानों के तहत् विचारोपरांत राज्य शासन, एतद्द्वारा, जारी आशय पत्र दिनांक 26.06.2021 तथा 07.08.2021 के अनुक्रम में मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पक्ष में जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र पर 50 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति प्रदान करने हेतु सैद्धांतिक निर्णय लिया जाकर निम्नलिखित शर्तों के अधीन संशोधित आशय पत्र जारी करता है।

9.1 NCL द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से विषयांतर्गत क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय अनुमति/स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 के तहत 05 वर्षों के लिये आरक्षित अवधि के भीतर खनिपट्टा स्वीकृति की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

9.2 भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जारी किये जाने वाले आशय-पत्र से NCL को आवेदित क्षेत्र पर प्रवेश करने या खनन कार्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जब तक कि NCL को क्षेत्र में भूमि प्रवेश हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती।

10/ NCL को प्रश्नाधीन क्षेत्र का खनिपट्टा स्वीकृत किये जाने पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना होगा :-

10.1 NCL को राज्य शासन के साथ खनिपट्टा का अनुबंध निष्पादन एवं माईन डेव्हलपमेंट एण्ड प्रोडक्शन एग्रीमेंट (MDPA) का निष्पादन करना होगा।

10.2 NCL द्वारा राज्य सरकार को एमएमडीआर एक्ट, 1957 (यथा संशोधित) की अनुसूची-5 में दी गई दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

10.3 NCL द्वारा खनिज(परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 के नियम, 74(1) एवं 74(2) के प्रावधानों के तहत निर्धारित अन्य राशि का संदाय करेगा।

10.4 NCL द्वारा किसी विधि के अधीन केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित कर/लेवी राशि का भुगतान केन्द्रीय/राज्य सरकार को किया जाएगा।

10.5 NCL द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान में उल्लेखित शर्तो तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन प्राप्त वन एवं पर्यावरणीय अनुमति/स्वीकृति का पालन करेगा।

10.6 NCL द्वारा आवेदित क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल (यदि कोई हो तो) तथा मार्ग के समीप उत्खनन का कार्य प्रतिबंधित दूरी को छोड़ते हुए किया जाएगा।

11/ इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.06.2021 तथा 07.08.2021 द्वारा जारी आशय पत्र में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

4/5/22
(पुष्पा साहू)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
खनिज साधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 2-20/2005/12, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एफसी डिवीजन) पर्यावरण भवन सीजीओर काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, दूसरी मंजिल, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार ऑफिस कॉम्पलेक्स, पोस्ट विधान सभा, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर उनके पत्र क्र. RPR-1309/01/2016-MP, Date14.07.2021 के संदर्भ में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. महानिदेशक, सेफ्टी ऑफ माईन्स, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
6. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़।

7. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, खनिज भवन 10–3–311/ए, कैस्टल हिल्स मासाब टैंक, हैदराबाद।
8. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, जेल रोड, रायपुर।
9. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सोनाखान भवन, रिंग रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़,
10. कलेक्टर, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

11. गार्ड फाईल।

हस्ता./-
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

एन एम डी सी
NMDC

BOARD & COMPANY AFFAIRS

NOTE

09.08.2021

Sub:- Draft Minutes of the 48th Board Meeting of NMDC-CMDC Ltd. (NCL), a subsidiary company.

A copy of draft Minutes of the 48th meeting of the Board of Directors of the NMDC-CMDC Ltd. held on 27.07.2021 at Raipur as forwarded by CEO, NCL, Raipur is placed opposite on the file for kind approval before circulation

A.S. Pardha Saradhi
Company Secretary

C M D &
Chairman, NCL

25/08/2021

CS As amended Please.

CEO - NCL

ITEM NO. 48/22: APPROVAL OF TECHNO ECONOMIC FEASIBILITY REPORT OF BAILADILA IRON ORE MINE DEPOSIT-4, PREPARED BY NMDC LTD:

The Board was briefed about the preparation of the Techno Economic Feasibility Report (TEFR) of Bailadila Iron Ore Deposit 4, Bacheli, Distt. Dantewada in view of the reservation of the said mines for NCL by Government of India.

It was informed that according to TEFR, mine production capacity of Deposit number -4 in the initial five years would be limited to 2 MTPA, it has been proposed to deploy smaller equipment for mine working through small scale mining. As per TEFR after five years, when mine capacity will be upgraded to 7 MTPA, it is proposed to replace smaller equipment with higher capacity equipment and shall be exploited departmentally. The Board took note of the same and passed the following resolution on the matter:

"**RESOLVED THAT** the in-principle approval of Board be and is hereby accorded to the conceptual process as indicated in the TEFR May 2021 for Bailadila Iron Ore Deposit 4.

RESOLVED FURTHER THAT

The CEO of the company be and is hereby authorized to do all such things, deeds and acts as may be required in connection with the approval of the Board on the aforesaid matter."

ITEM NO. 48/24: REFUND OF AMOUNT INCURRED BY NMDC LTD IN RESPECT OF BAILADILA IRON ORE DEPOSIT-13

The matter has was discussed along with payment of stamp duty and registration charges. It was informed that the matter had been again reviewed by the RP Department of NMDC Limited during its review meeting with the Company on 27.05.2021 and instructed to put the same before the Board of NMDC-CMDC Limited. The Board decided that the payment to NMDC will be made on availability of funds.

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH 10AA 250968

शपथ पत्र

मैं पद्मनाभ नाईक, पिता श्री चंद्रशेखर नाईक, उम्र–56 वर्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड शपथपूर्वक निम्न कथन करता हु कि :–

1. यह कि, मैं पद्मनाभ नाईक, पिता श्री चंद्रशेखर नाईक, उम्र–56 वर्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड, बोरियाकला, रायपुर, छ ग के पद पर कार्यरत हूँ तथा राजस्व विभाग के साथ के भू अर्जन कार्य हेतु अधिकृत हूँ।

2. यह कि एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा भू अधिग्रहण हेतु जो भी जानकारी दी जा रही है वह सत्य एवं सही है।

3. यह कि उक्त शपथ पत्र को भू अर्जन के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सत्यापन

मैं पद्मनाभ नाईक, पिता श्री चंद्रशेखर नाईक, उम्र–56 वर्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनएमडीसी–सीएमडीसी सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र की कंडिका 1 से 3 तक की अन्तर्वस्तु मेरे स्वतः ज्ञान व विश्वास से सत्य एवं सही है।

प.च.नाईक 25/5/23.

(पद्मनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

5086

क्र. .... दिनांक 25/3/13 2013

विक्रेता .... [illegible]

पिता/पति ....

निवासी ....

प्रयोजन ....

क्रेता ....

पिता/पति/पत्नी ....

निवासी ....

हस्ताक्षर .... [illegible]

कविता ठाकुर स्टाम्प विक्रेता
सिविल कोर्ट, रायपुर (छ
07.004

17 MAR 2013

NMDC-CMDC LIMITED

(A Subsidiary of NMDC Ltd.)

NCL

Regd Off : Greens Villey City, Housing Board Colony, Boriyakala, Sejbahar, Raipur 492015 (C.G.) Tel: 0771-2971919, Fax : 0771-2971920

CIN : U13100CT2008GOI020711

E-mail : ceonmdccmdc@gmail.com

No. NCL/Dep-4/Infra/2022/1311 **Date:25.05.2023**

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू–अर्जन अधिकारी,
तहसील - बड़े बचेली
जिला – दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा,
छत्तीसगढ़.

विषय :– बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमॉक–4 के विकास हेतु तहसील बड़े बचेली के ग्राम पोरोकमेली में भूमि के अधिग्रहण / अर्जन बाबत।

संदर्भ :– 1. आपका पत्र क्रमांक 1590/अ.वि.अ./2023, दिनांक – 15/05/2023
2. कार्यालय कलेक्टर, जिला – दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का पत्र क्रमांक 3152/जि.ना./भू–अर्जन/2023, दिनांक – 19/05/2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमॉक–4 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र मे अनुषांगी गतिविधियों यथा स्क्रीनिंग सयंत्र, लोडिंग सयंत्र एवं रेलवे साइडिंग इत्यादि हेतु ग्राम– पोरोकमेली, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा में अवस्थित कुछ भूमि एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में अधिग्रहित / अर्जित करने की आवश्यकता है । इसके तारतम्य में आपके पत्र क्रमांक 1590/अ.वि.अ./2023, दिनांक – 15/05/2023 के माध्यम से परियोजना हेतु प्रस्तावित निजी भूमि के लिए छ0ग0 भू–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेजों एवं परियोजना के नक्शे के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

इस अनुरोध पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज आपके कार्यालय को 4 प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है –

- छ0ग0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 के नियम 3 के अनुसार सम्बंधित भूमि के भू–अभिलेख;
- छ0ग0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 के नियम 5 के अनुसार आठ बिन्दुओं के साथ परियोजना का प्रस्ताव;
- आवश्यक शपथ पत्र, उपाबंध (I,II,III), प्रमाण पत्र इत्यादि;

प.च.नाईक
25/5/23

- छ0ग0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 के नियम 4 के अनुसार भू–अर्जन के लिए प्रशासनिक सेवा शुल्क हेतु रुपये 9,04,402 /-, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रशासनिक व्यव हेतु रुपये 4,07,000 /– एवं सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु रुपये 5,00,000 /– अर्थात कुल रुपये 18,11,402 /– (अट्ठारह लाख ग्यारह हजार चार सौ दो रुपये मात्र) कलेक्टर दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा के पी0डी0 अकाउंट में जमा करने के दस्तावेज ।

  (टिप्पणी – परियोजना हेतु ग्राम पोरोकमेली के अतिरिक्त ग्राम भांसी में भी भू–अर्जन प्रस्तावित है, अतः उपरोक्त लिखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक राशि, ग्राम पोरोकमेली के लिए रुपये 18,11,402 /– एवं ग्राम भांसी के लिए रुपये 32,94,334 /– अर्थात कुल रुपये 51,05,736 /– एक ही चेक क्रमांक 494002534, दिनांक 25-05-2023 के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर – जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में जमा किया गया है।)

परियोजना प्रभावी रूप से विकसित होने की अवधि लगभग 5 वर्ष होगी ।आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषय में आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करवाने का कष्ट करें। आगे की सभी आवश्यक सूचना और सहायता आपके द्वारा नियत/निर्धारित तारीख/समय पर प्रदान करा दी जायेगी।

भवदीय

प.ना. नाईक 25/5/23

(पदमनाभ नाईक)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

xx(a)-Rav.(H)-A-7 [Subsidiary Rules 19 and 22 under Tresury Rule 10]

CHALAN OF MONEY PAID INTO THE TREASURY

(To be presented at the Treasury single or duplicate or triplicate as the case may be)

(खजाने में जिसकी एक या दो या तीन नकलें जैसा कायदा हो पेश करना चाहिए)

By whom brought कौन लाया	On what Account किस बाबत्		Amount रकम	
कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक-4 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों यथा लोडिंग सयंत्र, रेलवे साइडिंग इत्यादि हेतु ग्राम-भांसी एवं पोरोकमेली में अवस्थित कुछ भूमि एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में अधिग्रहण करने हेतु राशि चालान द्वारा कोषालय के पी.डी. खाता में जमा करने बाबत्	Under Rupees (In words) जितने रुपये की अक्षर 5105737.00	5105736	P. 00
योगः- (इक्यावन लाख पांच हजार सात सौ छत्तीस मात्र)		Total मीजन	**5105736**	**00**
*Head of Revenue – 8443 सिविल डिपोजिट Major Head – 106 व्यक्तिगत जमा खाता Detailed Head		Detail-तफसील Notes नोट्स Cash नगदी	**Chek no-222010** **Date-25.05.2023**	
		Total **मीजन**	**5105736**	**00**

*CERTIFIED THAT the amount shown has been entered in the departmental register to the head of revenue deposit.

Dated 2023

Deputy Collector
Departmental Officer

Signature of tenderer
दाखिल करने वाले के दस्तखात

[FOR USE IN TREASURY]
[खजाने में इस्तेमाल के लिए]

Examined	Received	Entered
Initials of Accountant	Rs.(In figures) Rs.(In figures) Signature of Treasurer	Sinnature of Accountant

26256३२९४

23

Dated -------------- 2023 Treasury Officer.

NMDC-CMDC LIMITED

(A Subsidiary of NMDC Ltd.)

NCL

No. NCL/Dep-4/Infra/2022/1368 **Date: 25.05.2023**

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर (भू-अर्जन),
जिला – दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा,
छत्तीसगढ़

विषय – बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक-4 के विकास हेतु तहसील बड़े बचेली के ग्राम भांसी एवं ग्राम पोरोकमेली में भूमि के अधिग्रहण बाबत।

संदर्भ :-

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील – बड़े बचेली का पत्र क्रमांक 1589 अ.वि.अ./2023, दिनांक – 15/05/2023
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील – बड़े बचेली का पत्र क्रमांक 1590 अ.वि.अ./2023, दिनांक – 15/05/2023
3. कार्यलय कलेक्टर का पत्र क्रमांक/3152/जि.ना./भू-अर्जन/2023 दंतेवाड़ा, दिनांक 19/05/2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमॉक-4 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों यथा लोडिंग सयंत्र, रेलवे साइडिंग इत्यादि हेतु ग्राम-भांसी एवं ग्राम-पोरोकमेली में अवस्थित कुछ भूमि एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में अधिग्रहण करने हेतु निवेदन किया गया था ।

उपरोक्त के तारतम्य में संदर्भित पत्रों के माध्यम से परियोजना अंतर्गत प्रभावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु प्रशासनिक सेवा शुल्क/व्यय एवं सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की व्यय राशि कलेक्टर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के पी.डी. खाते में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपयुक्त के संबंध में धन राशि रु. **51,05,736/- (इक्यावन लाख पांच हजार सात सौ छत्तीस रुपये मात्र)** चेक क्रमांक - 222010 दिनांक- 25/05/2023 के माध्यम से कलेक्टर (भू-अर्जन) दंतेवाड़ा के नाम से तैयार कर आपकी ओर प्रेषित है।

भवदीय

(अमित कुमार सिंह)
उप-महाप्रबंधक (खनन)

प्रतिलिपि:-प्रबंध संचालक, सीएमडीसी लिमिटेड (सेक्टर-24) ब्लाक नंबर 7ए, तृतीय तल, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़) को सादर सूचनार्थ प्रेषित

A/c PAYEE ONLY

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank Of India

BACHELI BRANCH

DIST - DANTEWADA

CHHATTISGARH

25052023
D D M M Y Y Y Y

PAY COLLECTOR (LAND ACQUISITION), SOUTH BASTAR, DANTEWADA को या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES Fifty one Lakh five Thousand Seven Hundred Thirty Six Rupees only/- अदा करें ₹ 51,05,736/-

खा.सं. A/c No. 10932466161

For N M D C LTD DEP-5 BACHELI

CURRENT A/C

Prefix : 1515600004

AUTHORISED SIGNATORY

AUTHORISED SIGNATORY
Please Sign Above

MULTI-CITY CHEQUE Payable at Par at All Branches of SBI

⑈222010⑈ 494002534⑆ 000402⑈ 29

कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

ज्ञापन

क्रमांक/ 3152 /जि.ना./भू-अर्जन/2023 दन्तेवाड़ा दिनांक 19 /05/2023

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

एन.एम.डी.सी-सी.एम.डी.सी. लिमिटेड

रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :- बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक-4 के विकास हेतु तहसील बड़े बचेली के ग्राम भांसी एवं ग्राम पोरोकमेली में भूमि के अधिग्रहण बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक No. NCL/Dep-4/Infra/2022/1299 Date: 16.05.2023

----00----

संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके तहत् ग्राम-भांसी एवं पोरोकमेली तहसील बड़े बचेली का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके तहत बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक-4 के खनन क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में अनुषंगी गतिविधियों तथा लोडिंग संयत्र, रेलवे साइडिंग इत्यादि हेतु ग्राम-भांसी/पोरोकमेली की प्रभावित होने वाली निजी भूमि के अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु प्रशासकीय सेवा शुल्क/व्यय एवं सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की व्यय राशि जमा किये जाने हेतु कलेक्टर पी.डी. खाते का विवरण चाही गई है।

इस संबंध में लेख है कि उक्त राशि को मदवार चेक <u>कलेक्टर (भू-अर्जन) दन्तेवाड़ा</u> के नाम से तैयार कर भेजने का कष्ट करें। पी.डी. खाता में राशि ऑनलाइन जमा न होकर चालान के माध्यम से जमा किया जाता है।

अतः सूचनार्थ सादर प्रेषित ।

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

पृ.क्रमांक/3153 /जि0ना0/भू-अर्जन/2023 दन्तेवाड़ा, दिनांकः 19/06/2020

प्रतिलिपि :-

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी बड़े बचेली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी एंव भू–अर्जन अधिकारी बडेबचेली,
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

Sdmbacheli@gmail.com

// ज्ञापन //

क्रमांक 1510/अ.वि.अ./2023 बडेबचेली, दिनांक 15 मई 2023

प्रति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी., रायपुर

विषय :– ग्राम पोरोकमेली में प्रस्तावित भूमि पर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में दस्तावेज एंव निर्धारित शुल्क/राशि जमा करनें विषयक।

—::000::—

उपरोक्तानुसार लेख है कि आपके द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप कमांक 04 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों हेतु ग्राम पंचायत गांसी के आश्रित **ग्राम पोरोकमेली** में स्थित विभिन्न मद अन्तर्गत निजी भूमि को एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड रायपुर के पक्ष में अधिग्रहण किये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

02/ आवेदन पत्र के साथ प्रभावित निजी भूमि के संबंध में निम्नांकित दस्तावेज को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे –

1. छ0ग0 भू–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
2. शपथ पत्र, उपाबंध 1,2,3, सक्षमता प्रमाण पत्र, स्थानीय निकाय का प्रस्ताव, परियोजना संबंधी नक्शा एव उपरोक्त दस्तावेज 4 प्रतियो में जमा करना सुनिश्चित करें।

03/ परियोजना अंतर्गत प्रभावित भूमि के संबंध में भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु (1) कुल अनुमानित मुआवजा राशि का 5 प्रतिशत राशि **9,04,402/–** (नौ लाख चार हजार चार सौ दो) रूपये मात्र प्रशासनिक सेवा शुल्क, (2) पुर्नवासन एंव पुर्नव्यवस्थापन प्रशासनिक व्यय की राशि **4,07,000/–** (चार लाख सात हजार) रूपये एंव (3) सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का व्यय राशि रूपये **5,00,000/–** (पांच लाख) रूपये मात्र कलेक्टर दक्षिण बस्तर, दन्तेवाडा के पी0डी0 खाते में जमा करावें।

अतएव उपरोक्त दस्तावेज एंव राशि दिनॉक 31.05.2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि भू–अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जा सके।

सलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एंव
भू–अर्जन अधिकारी
बडेबचेली

पृ0 क्रमांक/1510/1/अ.वि.अ./2023 बडेबचेली, दिनांक 15 मई 2023

प्रतिलिपि – 01 कलेक्टर एंव जिला भू–अर्जन अधिकारी, दक्षिण बस्तर, दन्तेवाडा की ओर सादर सूचनार्थ।
02 अपर कलेक्टर, दक्षिण बस्तर, दन्तेवाडा की ओर सादर सूचनार्थ।
03 तहसीलदार बडेबचेली की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एंव
भू–अर्जन अधिकारी
बडेबचेली

कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी एंव भू–अर्जन अधिकारी बड़ेबचेली, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

Sdmbacheli@gmail.com

// ज्ञापन //

क्रमांक 1581 अ.वि.अ./2023 बड़ेबचेली, दिनांक 15 मई 2023

प्रति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी –सी.एम.डी.सी., रायपुर

विषय – ग्राम भांसी मे प्रस्तावित भूमि पर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में दस्तावेज एंव निर्धारित शुल्क/राशि जमा करनें विषयक।

— :: 000 :: —

उपरोक्तानुसार लेख है कि आपके द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप क्रमांक 04 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों हेतु **ग्राम भांसी** में स्थित विभिन्न मद अन्तर्गत निजी भूमि को एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड रायपुर के पक्ष में अधिग्रहण किये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 आवेदन पत्र के साथ प्रभावित निजी भूमि के संबंध में निम्नांकित दस्तावेज को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें –

1. छ0ग0 भू–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
2. शपथ पत्र, उपाबंध 1,2,3, सक्षमता प्रमाण पत्र, स्थानीय निकाय का प्रस्ताव, परियोजना संबंधी नक्शा एंव उपरोक्त दस्तावेज 4 प्रतियो में जमा करना सुनिश्चित करें।

03 परियोजना अंतर्गत प्रभावित भूमि के संबंध में भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करनें हेतु (1) कुल अनुमानित मुआवजा राशि का 5 प्रतिशत राशि **24,51,334/–** (चौबीस लाख इंक्यावन हजार तीन सौ चौतीस) रूपये मात्र प्रशासनिक सेवा शुल्क (2) पुर्नवासन एंव पुर्नव्यवस्थापन प्रशासनिक व्यय की राशि **3,43,000/–** (तीन लाख तिरालीस हजार) रूपये एंव (3) सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का व्यय राशि रूपये **5,00,000/–** (पॉच लाख) रूपये मात्र कलेक्टर दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा के पी0डी0 खाते में जमा करावें।

अतएव उपरोक्त दस्तावेज एंव राशि दिनॉक 31.05.2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि भू–अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जा सके।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एंव
भू–अर्जन अधिकारी
बड़ेबचेली

पृ0 क्रमांक/1581-A/अ.वि.अ./2023 बड़ेबचेली, दिनांक 15 मई 2023

प्रतिलिपि :– 01 कलेक्टर एंव जिला भू–अर्जन अधिकारी, दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
02 अपर कलेक्टर, दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
03 तहसीलदार बड़ेबचेली की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एंव
भू–अर्जन अधिकारी
बड़ेबचेली

Points to be Certified by the concerned department applying for the acquisition

Sl.No.	Description		Remarks
1.	The land required for public purpose	:	Yes
2.	No Government land is available for the purpose	:	Yes
3.	The land is required permanently	:	Yes
4.	The land is marked in the land plan map is required in full	:	Yes
5.	The land is marked only as per actual required in full	:	Yes
6.	The land in question is not required for any other purpose	:	Yes
7.	The land is not interfering with any public right or semi–Government Department	:	Yes
8.	The purpose of acquisition with particulars of land in area, name of village, sufficient budget provision estimated amount mentioned	:	Yes
9.	The lands belong to private holders as shown in the land plan and the Khasra (to be enclosed)	:	Yes
10.	There is no religious building temple grave yard or any other moments within the area proposed for acquisition	:	Certificate enclosed
11.	Is there any alternative for the proposal (by providing alternatives land etc.)	:	No
12.	The land is to be acquired urgently for reasons to be mentioned	:	Yes
13.	It will not cause any inconvenience to the public and unnecessary expenditure on the part of the department	:	Yes
14.	Service Charge of Land Acquisition (5% of the compensation), Administrative Cost of Rehabilitation and Resettlement (5% of the Rehabilitation and Resettlement compensation) and cost for Social Impact assessment study deposited.	:	Yes
15.	Any related Government Order to be enclosed	:	Yes

प.न.नाईक 25/5/23

(पद्मनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू–अर्जन अधिकारी,
तहसील - बड़े बचेली
जिला – दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा,
छत्तीसगढ़.

विषय :– छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम, 2016 के नियम 5 के अनुसार प्रस्ताव के साथ जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि अपेक्षक निकाय को नियम 4 एवं नियम 5 के उपबंधों के सम्यक रुप से पालन करने के पश्चात निम्नलिखित जानकारी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाना है-

(एक) लोक प्रयोजन जो ऐसे अर्जन द्वारा पूरा किया जाना है:

एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड, जो कि एनएमडीसी (भारत सरकार का उपक्रम) एवं सीएमडीसी (छत्तीसगढ़ राज्य का उपक्रम) का एक संयुक्त उद्यम है, का गठन 19 जून 2008 को क्रमशः 51% एवं 49% अंशधारिता के साथ किया गया था। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न खनिजों परियोजनाओं का विकास करना है। बैलाडीला लौह अयस्क क्रमांक – 4 का विकास भी एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के द्वारा किया जाना है।

खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक जीएसआर 697, दिनांक 30/09/2019 के अनुसार बैलाडीला लौह अयस्क खान क्रमांक – 4 का 646.596 हेक्टेयर क्षेत्रफल एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में खनिज पूर्वेक्षण / खनन हेतु आरक्षित किया गया था। पश्चात में एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के आवेदन के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 2/20/2005/12, दिनांक 26/06/2021 द्वारा एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में खनन पट्टे हेतु आशय पत्र जारी किया गया था।

आशय पत्र में जारी शर्तों के आधार पर खनन पट्टे के प्रस्तावित 646.596 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 570.100 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं खनन पट्टे के बाहर 100.077 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु वन भूमि (बैलाडीला आरक्षित वन क्षेत्र) के व्यपवर्तन के लिए आवेदन वन विभाग को प्रस्तुत किया जा चुका है।

बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमॉक–4 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों यथा स्क्रीनिंग संयंत्र, लोडिंग संयंत्र एवं रेलवे साइडिंग इत्यादि हेतु ग्राम– पोरोकमेली, तहसील

बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाडा में अवस्थित कुछ भूमि एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में अधिग्रहित / अर्जित करने की आवश्यकता है, जिस हेतु यह प्रस्ताव जमा किया जा रहा है।

(दो) ऐसे परिवारों की संख्या का प्राक्कलन, जो अर्जन से प्रभावित हैं:

प्रथम दृष्टया, भू–अर्जन से ग्राम पोरोकमेली में परियोजना के लिए आवश्यक राजस्व भूमि में लगभग 9 परिवार प्रभावित होंगे।

(तीन) शासकीय भूमि, मकान तथा अन्य आस्तियां जो अर्जन से प्रभावित हैं:

इस अर्जन से ग्राम पोरोकमेली में लगभग 10.440 हे. शासकीय भूमि एवं उनमें अवस्थित वृक्ष प्रभावित होंगे। प्रभावित शासकीय भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे0)	प्रस्तावित रकबा (हे0)
1.	1	0.220	0.220
2.	7	9.970	9.970
3.	8	0.150	0.150
4.	13/1	0.100	0.100
	योग		**10.440**

(चार) निजी भूमि, मकान तथा अन्य आस्तियां जो अर्जन से प्रभावित हैं:

इस अर्जन से ग्राम पोरोकमेली में लगभग 2.550 हे. निजी भूमि, राजस्व वन क्षेत्र (बड़े झाड़ के जंगल) में लगभग 1.850 हे. क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार पट्टे एवं उनमें अवस्थित लगभग 11 मकान एवं कुछ वृक्ष प्रभावित होंगे।

प्रभावित निजी राजस्व भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे0)	प्रस्तावित रकबा (हे0)
1.	2	0.150	0.150
2.	4	0.400	0.400
3.	6/3	0.060	0.060
5.	5	1.210	1.210
6.	6/1	0.060	0.060
7.	6/2	0.080	0.080
8.	12/1	0.590	0.590
	योग		**2.550**

राजस्व वन क्षेत्र में प्रभावित वन अधिकार पट्टों का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	खसरा नंबर / वन अधिकार मान्यता पत्रक क्र.	कुल रकबा (हे०)	प्रस्तावित रकबा (हे०)
1.	3 / 0217126	0.560	0.560
2.	9 / 0217128	0.690	0.690
3.	13/2 / 0217132	0.600	0.600
	योग		1.850

(पाँच) अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र प्रस्तावित परियोजना के लिए न्यूनतम क्षेत्र है:

पर्यावरण स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 30/11/2021 को प्रस्ताव संख्या IA/CG/MIN/241426/2021 के माध्यम से भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF&CC) को प्रस्तुत किया गया था। खनन परियोजनाओं के पर्यावरण मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 14/12/2021 की अपनी 43वी बैठक में खनन कार्य के लिए दो अलग–अलग आवेदन खनन क्षेत्र के अंदर एवं खनन क्षेत्र से बाहर अनुषंगी गतिविधियों के लिए प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त निर्देशानुसार फिर से पर्यावरण स्वीकृति के लिए खनन क्षेत्र के लिए आवेदन क्रमांक IA/CG/MIN/251288/2022 दिनांक 14/01/2022 तथा खनन क्षेत्र के बाहर अनुषंगी गतिविधियों के लिए आवेदन क्रमांक IA/CG/IND/251437/2022 दिनांक 14/01/2022 के रूप में दो अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत किए गए।

उपरोक्त प्रस्तुत किए गए खनन क्षेत्र के बाहर अनुषंगी गतिविधियों के लिए आवेदन क्रमांक IA/CG/IND/251437/2022 दिनांक 14/01/2022 में कुल 195.537 हेक्टेयर जमीन की मांग की गई थी जिसमें 100.077 हेक्टेयर वन क्षेत्र तथा 95.46 हेक्टेयर राजस्व भूमि थी।

MoEF&CC द्वारा खनन क्षेत्र के बाहर अनुशंगी गतिविधियों हेतु जारी संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference) IA-J-11011/23/2022-IA-II(IND-I) दिनांक 21/02/2022 के अनुसार लौह अयस्क बेनिफिसियेशन प्लांट के अवशेष को जल निष्कासन के बाद शुष्क अपवहन के लिए एक योजना प्रस्तुत करने को कहा गया।

संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference) की प्रस्तावित शर्त के अनुपालन हेतु एक नई तकनीक "प्रेशर फिल्टर" का पता लगाया गया जिसमे कि बड़े क्षेत्र में टेलिंग पॉंड तथा स्लरी पाइपलाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एनसीएल ने इस नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वन क्षेत्र को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए न्यूनतम राजस्व भूमि का निर्धारण किया है। परिवर्तित योजना के अनुसार वर्तमान में परियोजना के खनन पट्टे के बाहर 100.077 हेक्टेयर भूमि आरक्षित वन क्षेत्र में तथा 22.4658 हेक्टेयर भूमि आरक्षित वन क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित है, जो की पूर्व में निर्धारित भूमि से लगभग 73 हेक्टेयर कम है। अतः अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र प्रस्तावित परियोजना के लिए न्यूनतम क्षेत्र है।

(छः) इस संबंध में प्रमाण पत्र की परियोजना के लिए अनुकल्पी क्षेत्र (दूसरा) क्षेत्र उपलब्ध नहीं है:

प्रमाण पत्र संलग्न है ।

(सात) परियोजना के सामाजिक समाघात, उनके उपचार तथा उनकी संभावित लागतः

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु रुपये 5,00,000/- जमा करा दिए गए हैं ।

(आठ) परियोजना की लागत तथा उसके लाभों का तुलनात्मक अध्ययन

परियोजना की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4091.33 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के शुरू होने से निम्नलिखित बिंदुओं पर लाभ होने की प्रबल संभावनाएं हैं –

i. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसरः

इस परियोजना को एक स्टैंडअलोन परियोजना के रूप में विकसित करने के लिए अनुमानतः 700 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का अनुमान है, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	अत्यधिक कुशल	282
2.	कुशल	127
3.	अर्धकुशल	123
4.	अकुशल	168
	कुल	700

इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी परियोजना के आसपास के क्षेत्रों में रोजगार की असीम संभावनाएं उत्पन्न होंगी।

ii. आसपास के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसरः

जैसा कि किरंदुल तथा बचेली में मौजूदा शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं वैसे ही शिक्षा संस्थानों (केंद्रीय विद्यालय आदि) का निर्माण भी इस परियोजना के कारण भांसी के आसपास के क्षेत्र में होना सुनिश्चित है।

iii. बेहतर चिकित्सा सुविधाएंः

इस परियोजना में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित एक एकीकृत परियोजना चिकित्सालय की योजना भी सम्मिलित है। समय-समय पर आसपास के क्षेत्रों में मेडिकल कैंप भी आयोजित किए जाएंगे । उचित संख्या में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित एंबुलेंस भी उपलब्ध कराई जायेंगी।

iv. **बेहतर आवागमन की सुविधाएं:**
इस परियोजना के क्रियान्वयन तथा क्रियाकलापों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए भविष्य में टाउनशिप का भी निर्माण किया जाएगा जिसमें की रहन–सहन की सुविधाएं जैसे कि स्कूल, अस्पताल, उद्यान, खेल के मैदान, व्यवसायिक स्थल, आदि विकसित किए जाएंगे। इस कारण परियोजना के निवासियों एवं आस पास के ग्रामीणों के रायपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा इत्यादि नगरों तक आवागमन हेतु सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

इस परियोजना के शुरू होने से इस सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के रहन–सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, एवं रोजगार के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की असीम संभावनाएं निहित हैं।

उपरोक्त वर्णित सामाजिक लाभों के अलावा राज्य को राजस्व के रूप में प्रति वर्ष होने वाले वित्तीय लाभों का विवरण नीचे किया गया है –

- रॉयल्टी – 775.65 करोड़ रुपये
- डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड – 232.70 करोड़ रुपये
- नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट में योगदान – 15.51 करोड़ रुपये
- राज्य सरकार को 22.5% अतिरिक्त प्रीमियम – 1163.48 करोड़ रुपये
- पर्यावरण सेस – 15.75 करोड़ रुपये
- फारेस्ट परमिट फीस – 10.5 करोड़ रुपये

इसके अतिरिक्त परियोजना के खनन पट्टे के रजिस्ट्रेशन के समय राज्य सरकार को लगभग 88.10 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन चार्जेज के रूप में मिलेगा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV), प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation), जैव विविधता संरक्षण योजना एवं वन्यजीव प्रबंधन योजना के लिए वन विभाग लगभग 261.84 करोड़ रुपये से लाभान्वित होगा ।

उपरोक्त में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एवं लौह अयस्क के ऊपर लगने वाले GST से होने वाले लाभ सम्मिलित नहीं है।

यह परियोजना एक राष्ट्रीय हित की परियोजना है। इस परियोजना के शुरू होने से राष्ट्र तथा राज्य के राजस्व में काफी बड़ा योगदान के अतिरिक्त परियोजना के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के कारण क्षेत्र का बहुमुखी विकास होगा ।

प.च. नाईक 25/5/23

(पदमनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड

उपाबंध–I

1.	परियोजना का नाम	:–	बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 04
2.	गांव का नाम	:–	पोरोकमेली
3.	ग्राम पंचायत का नाम	:–	भांसी
4.	तहसील का नाम	:–	बड़े बचेली
5.	जिले का नाम	:–	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
6.	अर्जित की जाने वाली सर्वे संख्या	:–	निजी राजस्व भूमि – 2, 4, 5,6/1,6/2, 6/3, 12/1 खसरा नंबर / वन अधिकार मान्यता पत्रक क्र – 3 / 0217126 9 / 0217128 13/2 / 0217132
7.	अनुरोध के अधीन कुल क्षेत्र की सीमाएं	:–	
	पूर्व	:–	रेलवे लाइन
	पश्चिम	:–	बैलाडीला आरक्षित वन क्षेत्र
	उत्तर	:–	भांसी ग्राम
	दक्षिण	:–	बड़ेकमेली ग्राम
8.	कृषि और सिंचित बहुफसली भूमि का क्षेत्र	:–	प्रस्तावित क्षेत्र में एक फसली असिंचित भूमि लगभग 4.400 हेक्टेयर है ।
9.	कृषि और सिंचित बहुफसली भूमि को सम्मिलित करने का कारण	:–	दूसरी भूमि नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।
10.	भवनों और अन्य संरचनाओं टैंको कुओ वृक्षों आदि का ब्यौरा	:–	लगभग 11 मकान एवं कुछ वृक्ष प्रभावित होंगे ।
11.	अर्जन हेतु धार्मिक भवनों शमशान घाटों या मकबरा आदि यदि कोई हो तो सम्मिलित करने का कारण	:–	प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।

प.च. नाईक 25/5/23

(पद्मनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड

उपाबंध–II

परियोजना का नाम : बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 04

1.	विभाग या सरकार या कंपनी स्थानीय प्राधिकरण संस्था	:–	एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड
2.	अर्जक निकाय का शासकीय पदनाम	:–	एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड
3.	अर्जन का प्रयोजन (विस्तृत रुप से)	:–	खनन परियोजनाओं के अनुषांगिक गतिविधियों हेतु
4.	क्या सरकार या विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 2(1) के अधीन अपने उपयोग धारण और नियंत्रण के लिए अनुरोध किया गया है	:–	हाँ
5.	क्या अधिनियम की धारा 2(1) (क) से 2(1) (च) के अधीन अनुरोध दायर किया गया है	:–	हाँ
6.	क्या अधिनियम की धारा 2(2) (क) या (ख) के अधीन अनुरोध फाइल किया गया है	:–	नहीं
7.	अधिनियम की धारा 3 (ग) (I) से (vi) के अधीन उल्लिखित के अनुसार कितने कुटुम्ब प्रभावित है	:–	प्रस्तावित कुटुम्ब की संख्या लगभग 9 है ।
8.	क्या अधिनियम की धारा 40 के अधीन अनुरोध फाइल किया गया है	:–	निरंक
9.	यदि हां तो किस आधार पर	:–	निरंक
10.	क्या परियोजना के लिए भूमि को निजी बातचीत के द्वारा स्वामियों से अंशतः क्रय किया गया है	:–	निरंक
11.	यदि हां तो किस तारिख को एवं किन निबंधनों पर (कृपया बातचीत के निबंधनों का संक्षिप्त उल्लेख करे तथा इसकी प्रतिलिपि संलग्न करें)	:–	निरंक
12.	सरकार या विभाग या स्थानीय प्राधिकरण के मामले में परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन निर्गत होने की तारीख (प्रति संलग्न करें)	:–	परियोजना पब्लिक सेक्टर उपक्रम की है । परियोजना स्थापित करने के लिए एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड के बोर्ड के द्वारा परियोजना की "तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट" का अनुमोदन कंपनी की 48वीं बोर्ड मीटिंग में दिनांक 27.07.21 को प्रदान किया गया है।
13.	यदि अनुरोध सरकार या विभाग या स्थानीय प्राधिकरण के मामले में परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के छह सप्ताह के पश्चात् दायर किया गया है तो अनुरोध दायर करने में हुए विलम्ब का कारण	:–	निरंक
14.	जमीन पर कब्जा कब तक अपेक्षित है	:–	सदा के लिए

प.च.नाईक 25/5/23

(पद्मनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड

उपाबंध–III

अर्जक निकायों द्वारा भूमि के भू अर्जन हेतु अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम : बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 04

1. प्रमाणित किया जाता है कि यह परियोजना जिसके लिए भूमि अर्जन किये जाने की मांग की गई है उस पर परियोजना स्थापित करने के लिए एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड के बोर्ड के द्वारा परियोजना की "तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट" का अनुमोदन कंपनी की 48वीं बोर्ड मीटिंग में दिनांक 27.07.21 को प्रदान किया गया है। (प्रति संलग्न है)।

2. परियोजना की अनुमानित्त लागत्त 4091 करोड़ रूपये है, और आवश्यक बजट को मंजूरी दे दी गई है और अर्जन के लिये निधियां उपलब्ध है।

3. अर्जन निकाय, भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवथापन प्राधिकारी/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय और जब कभी कलेक्टर द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाय, डिक्री के मामले में सम्पूर्ण रकम का संदाय करने की वचनबद्धता प्रकट करता है।

प.प. नाईक 25/5/23

(पद्मनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड

NCL

NMDC-CMDC LIMITED

(A Subsidiary of NMDC Ltd.)

Regd Off : Greens Villey City, Housing Board Colony, Boriyakala, Sejbahar, Raipur 492015 (C.G.) Tel: 0771-2971919, Fax : 0771-2971920

CIN : U13100CT2008GOI020711

E-mail : ceonmdccmdc@gmail.com

प्रमाण पत्र

पूर्व में किए गए पूर्वेक्षण/अन्वेषण के अध्ययनों के अनुसार बैलाडीला लौह अयस्क निकाय क्रमांक – 4 में लगभग 109.01 मिलयन टन लौह अयस्क का भंडार है। खनन एक "स्थान विशिष्ट" कार्य है तथा खनन केवल वही किया जा सकता है जहां अयस्क के भंडार मौजूद हैं। खनन पश्चात आर ओ एम को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए लोडिंग संयंत्र तक पहुंचाने के लिए डाउनहिल कन्वेयर, स्क्रीनिंग प्लांट, तथा लोडिंग प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता है, यह सभी संयंत्र मूलतः एक सीधी सीमा रेखा में होने चाहिए । चुंकि खनन पट्टा क्षेत्र पूरी तरह से वन क्षेत्र में ही स्थित है, उपरोक्त वर्णित अनुषंगी गतिविधियों के स्थापना हेतु इंजीनियरिंग डिजाइन की उपयुक्तता के अनुसार क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां, मौजूदा रेलवे लाइन से समीपता, ग्राउंड प्रोफाइल इत्यादि को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वन क्षेत्र को शामिल करते हुए निम्नलिखित विकल्प तलाशे गए –

I. **बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक – 4 के खनन पट्टे के उत्तर पश्चिम दिशा की ओरः** इस दिशा में पाया गया कि बुनियादी ढांचे के लिए यह पूरी तरह से वन भूमि है और कोई रेलवे कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा स्वीकृत खनन पट्टे के पश्चिमी किनारे पर अपशिष्ट डंप प्रस्तावित किए गए हैं, तथा इस दिशा में संयंत्र स्थापित करने से डाउनहिल कन्वेयर, लौह अयस्क के भंडार के बीच से गुजर रहा है जिससे कि अयस्क के भंडार अवरुद्ध होने की संभावना है, जो कि भारत सरकार के खनिज संरक्षण हेतु बनाये गए नियमों के विरुद्ध होगा।

II. **बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक – 4 के खनन पट्टे के दक्षिण पूर्व दिशा की ओरः** इस दिशा में पाया गया कि प्रस्तावित डाउनहिल कन्वेयर को स्थापित करने से, कन्वेयर को लौह अयस्क निकाय क्रमांक 10 को पार करना होगा जिसके कारण लौह अयस्क निकाय क्रमांक 10 के लौह अयस्क के भंडार के भी अवरुद्ध होने की संभावना है। यह पथ गैर डायवर्शन के लिए प्रस्तावित "ट्री फर्न" क्षेत्र को भी पार कर रहा है। एक और बाधा यह है कि इस विकल्प के चयन से बचेली में वर्तमान में स्थित

प.च.नाईक
25/5/23

लोडिंग प्लांट की वजह से, परियोजना क्रमांक 4 के लिए प्रस्तावित लोडिंग प्लांट के लिए उपलब्ध स्थान सीमित हो जाता है।

III. **बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक – 4 के खनन पट्टे के उत्तर पूर्व दिशा की ओरः** इस दिशा में अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि इस दिशा मे मौजूदा KK रेलवे लाइन के समानांतर होने की वजह से यह दिशा अनुषांगिक संयंत्रों हेतु उत्तम प्रतीत होती है। इस दिशा में डाउनहिल कन्वेयर, स्थापित करने हेतु आगे और तीन विकल्प तलाशे गए जिनकी चर्चा नीचे की गई है –

a. इस विकल्प मे डाउनहिल कन्वेयर गैलरी प्रस्तावित करने से कन्वेयर गैलरी, लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 3, निक्षेप क्रमांक 6, निक्षेप क्रमांक 7, निक्षेप क्रमांक 8 एवं निक्षेप क्रमांक 9 को पार नहीं कर रहा है तथा किसी भी निक्षेप में कोई अवरोध पैदा नहीं कर रहा है। यह पथ, कन्वेयर गैलरी के लिए वांछित ढाल भी दे रहा है, तथा मौजूदा पुरानी सड़क को पहुंच मार्ग के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस पथ मे कन्वेयर गैलरी की लंबाई 7692 मीटर आ रही है, तथा खनन पट्टे के बाहर डायवर्शन हेतु वन क्षेत्रफल 100.077 हेक्टेयर की जरूरत है जो कि सभी विकल्पों में सबसे न्यूनतम है।

b. इस पथ का चयन करने से डाउनहिल कन्वेयर गैलरी, लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 1 के क्षेत्र को पार कर रही है, जिससे कि इस निक्षेप की अवरुद्ध होने की संभावना है। इस पथ का चयन करने से नई पहुंच मार्ग का निर्माण करना पड़ेगा तथा कन्वेयर गैलरी की लंबाई 8602 मीटर आ रही है तथा खनन पट्टे के बाहर 102.391 हेक्टेयर वन क्षेत्र के डायवर्सन की आवश्यकता होगी।

c. इस पथ का चयन करने से डाउनहिल कनवेयर गैलरी, लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 7 तथा निक्षेप क्रमांक 8 को पार कर रही है जिससे कि इस निक्षेप क्रमांक 7 तथा 8 के अवरुद्ध होने की संभावना है। इस पथ का चयन करने से नयी पहुंच मार्ग का निर्माण करना पड़ेगा तथा कन्वेयर गैलरी की लंबाई 8652 मीटर आ रही है तथा खनन पट्टे के बाहर 101.241 हेक्टेयर वन क्षेत्र के डायवर्सन की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त सभी विकल्पों का अध्ययन करने के पश्चात यह पाया गया कि खनन पश्चात अनुषांगिक गतिविधियो (डाउनहिल कनवेयर गैलरी, स्क्रीनिंग प्लांट तथा लोडिंग प्लांट) हेतु न्यूनतम वन क्षेत्र तथा

प.च. नाईक
25/5/23

राजस्व क्षेत्र को शामिल करते हुए एक ही सीमा रेखा में स्थापित करने हेतु सभी विकल्पों में से विकल्प क्रमांक iii (a) ही सर्वोत्तम है।

यदि परियोजना के लिए प्रस्तावित आधारभूत संरचना अन्यत्र कहीं दूसरी जगह स्थापित की जाती है तो लोडिंग प्लांट की दिशा, मौजूदा KK रेलवे लाइन के समीप / समानांतर नहीं होगी तथा यह स्क्रीनिंग प्लांट की सीमा रेखा में नहीं आएगा, तथा इंजीनियरिंग डिजाइन के मुताबिक वांछित ढाल जो इस पथ में प्राकृतिक रूप से निहित है नहीं मिलेगी एवं अतिरिक्त वन भूमि/राजस्व भूमि की भी जरूरत पड़ेगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं खनन के एक "स्थान विशिष्ट" कार्य होने के कारण यह सत्यापित किया जाता है कि परियोजना के लिए अनुकल्पी क्षेत्र (दूसरा) क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। यह भी सत्यापित किया जाता है की अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि इस परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि है और विकल्प में कोई बंजर भूमि जिसमे पड़त भूमि सम्मिलित है, परियोजना हेतु उपलब्ध नहीं हैं।

प.च.नाईक 25/5/23

(पद्‌मनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड

NMDC-CMDC LIMITED

(A Subsidiary of NMDC Ltd.)

NCL

Regd Off : Greens Villey City, Housing Board Colony, Boriyakala, Sejbahar, Raipur 492015 (C.G.) Tel: 0771-2971919, Fax : 0771-2971920

CIN : U13100CT2008GOI020711

E-mail : ceonmdccmdc@gmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 04 के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि में प्रथम दृष्टया कोई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कब्रिस्तान, शमशान भूमि नहीं आती है।

प.ना. नाईक 25/5/23

(पद्मनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड

NMDC-CMDC LIMITED

NCL

(A Subsidiary of NMDC Ltd.)

Regd Off : Greens Villey City, Housing Board Colony, Boriyakala, Sejbahar, Raipur 492015 (C.G.) Tel: 0771-2971919, Fax : 0771-2971920

CIN : U13100CT2008GOI020711

E-mail : ceonmdccmdc@gmail.com

सक्षमता प्रमाण पत्र

आवेदक एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ को दंतेवाड़ा जिले के बडे बचेली तहसील अंतर्गत आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 04 हेतु ग्राम पोरोकमेली के प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि क्षेत्र में भू–अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि का राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार जो भी राशि या लागत विभाग द्वारा तय की जावेगी, उसे जमा करने हेतु आवेदक संस्थान एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड सक्षम है।

(पद्मनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

By Speed Post

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर–492 002

क्रमांक एफ 2–20/2005/12, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक जून, 2021
26 JUN 2021

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड(एनसीएल),
ग्रीन विले सिटी, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
सेजबहार, बोरिया कला, शदाणी दरबार के सामने,
एनएच–30, रायपुर, छत्तीसगढ़ –492 015.

विषयः– जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला, डिपॉजिट नं. 4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु–मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल)।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक No. NCL/HO/Dep-4/LEASE/2017/597, Date 09.10.2019.

जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर क्षेत्र में खनिज आयरन ओर का खनिपट्टा हेतु मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) द्वारा दिनांक 21.11.2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रश्नाधीन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

2.1 एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) एक संयुक्त उपक्रम की कम्पनी (JVC) है जिसमें एनएमडीसी एवं सीएमडीसी लिमि. का क्रमशः 51:49 की भागीदारी है। राज्य के स्पंज/स्टील उद्योगों की लौह अयस्क की आवश्यकता की आपूर्ति संबंधी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इस संयुक्त उपक्रम कम्पनी (JVC) द्वारा बैलाडीला डिपाजिट क्रमांक–04 का विकास किये जाने हेतु एनएमडीसी एवं सीएमडीसी मे मध्य सहमति हुई है और एक औपचारिक सहमति (मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग) निष्पादित किया गया है।

2.2 प्रश्नाधीन क्षेत्र में एनएमडीसी के पक्ष में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन के पत्र क. 4043/4381/12, दिनांक 03.09.1971 द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किया गया था। पूर्वेक्षण कार्य के आधार पर एनएमडीसी ने क्षेत्र पर 107 मिलियन टन लौह अयस्क के माइनेबल भण्डार प्रमाणित किये हैं।

2.3 एनएमडीसी द्वारा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के बैलाडिला स्थित डिपाजिट क्रमांक–4 के वन कक्ष कमांक 659, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 672 एवं 676, 778 (टोपोशीट 65 एफ/2) के क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 27.02.1991 प्रस्तुत किया गया, जिस पर निर्णय लेते हुए विभागीय पत्र दिनांक 30.09.2010 के माध्यम से पूर्वानुमोदन प्रस्ताव भारत सरकार, खान मंत्रालय को प्रेषित किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, खान मंत्रालय ने अपने पत्र कमांक 5/103/2010–M.IV, दिनांक 30.11.2011 द्वारा 20 वर्ष की अवधि के लिए खनिपट्टा स्वीकृत किए जाने हेतु एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा–5(1) के तहत पूर्वानुमोदन एवं धारा–6(1)(बी) के तहत् निर्धारित सीमा में छूट निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त के तहत प्रदान की गई :–

"There shall be no change in the equity ratio of 51:49 in the Joint Venture between M/s National Mineral Development Corporation Ltd. and M/s Chhattishgarh Mineral Development Corporation without the approval of the Central Government."

2.4 उपरोक्त के संदर्भ में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13.01.2012 द्वारा एनएमडीसी को खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आईबीएम द्वारा अनुमोदित मायनिंग प्लान एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् आवश्यक अनुमति वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु (LoI) लेख किया गया।

AGM(Mng), NCL 30/06/2021

2.5 एनएमडीसी ने पत्र दिनांक 13.08.2013 के माध्यम से भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र दिनांक 26.07.2013 द्वारा रकबा 646.596 हेक्टेयर क्षेत्र का अनुमोदित मायनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया, किन्तु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वांछित वन एवं पर्यावरणीय अनुमति प्रस्तुत नही किया गया।

2.6 विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13.01.2012 द्वारा जारी LoI के संदर्भ में एनएमडीसी द्वारा वन एवं पर्यावरणीय सम्मितियाँ आदि MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित 2015) की धारा–10A(2)(c) अनुसार निर्धारित तिथि 11.01.2017 तक प्रस्तुत नही की जा सकी। अतएव MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित 2015) की धारा–10A(2)(c) सहपठित खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम–8(4) के तहत् विषयक खनिपट्टा प्रकरण में खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी नही किया गया जो कि अधिनियम के उक्त प्रावधानों के तहत् स्वमेव समाप्त हो गया।

2.7 एनएमडीसी द्वारा उक्त के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के समक्ष प्रकरण क्रमांक W.P.(c) No. 100/2017., NMDC Ltd Vs UoI & Others दायर किया गया। एनएमडीसी द्वारा याचिका वापस लेने के कारण माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 21.04.2017 द्वारा उक्त रिट पिटिशन dismissed as withdrawn किया गया है।

2.8 संयुक्त उद्यम कम्पनी (JVC) एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) द्वारा उपर्युक्त क्षेत्र जिला बस्तर के बैलाडीला आयरन ओर डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर को MMDR Act, 1957(यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(1A) के तहत् खनिपट्टा स्वीकृति हेतु दिनांक 21.11.2019 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके संदर्भ में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 17.01.2018 द्वारा धारा–17A(1A) के तहत् उपर्युक्त क्षेत्र को एनसीएल के पक्ष में आरक्षित करने हेतु भारत सरकार, खान मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

2.9 भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 द्वारा मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पक्ष में MMDR Act, 1957(यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(1A) के तहत् बैलाडीला डिपॉजिट क्रमांक–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर के निम्नलिखित खेत्र को 05 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित किया गया है :–

खनिज का नाम	स्थिति	क्षेत्र	पिलर	अक्षांश	देशांतर
लौह अयस्क	बैलाडीला आरक्षित वन, निक्षेप सं. 4 जिला दक्षिण बस्तर, छत्तीसगढ़	646.596 हेक्टेयर	A	81°12'10.40"	18°43'45.70"
			B	81°13'10.80"	18°43'40.90"
			C	81°13'08.80"	18°43'05.90"
			D	81°13'05.50"	18°43'05.80"
			E	81°12'57.30"	18°41'27.70"
			F	81°12'28.80"	18°41'52.90"
			G	81°11'57.70"	18°41'58.70"

2.10 उक्त के संदर्भ में एनसीएल द्वारा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के बैलाडीला आयरन ओर डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर क्षेत्र को MMDR Act, 1957(यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(1A) के तहत् खनिज लौह अयस्क के खनिपट्टा स्वीकृति हेतु दिनांक 21.11.2019 को आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ ने अपने प्रस्ताव दिनांक 29.04.2020 द्वारा इस विभाग को प्रेषित किया।

2.11 उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 02.12.2020 द्वारा एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पक्ष में पैरा–2.9 की तालिका में उल्लेखित क्षेत्र पर MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(2A) के तहत 05 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया जाकर क्षेत्र में खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई है।

2.12 एनसीएल के द्वारा दिनांक 26.08.2020 को इस विभाग को पत्र प्रेषित कर प्रस्तावित **LoI** (खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आशय–पत्र) के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध किया गया कि विषयांकित क्षेत्र का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु जारी किये जाने वाले आशय पत्र में एनएमडीसी के द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र को किये गये डीजीपीएस सर्वेक्षण से प्राप्त को–ऑर्डिनेट्स एवं भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना में दर्शित को–ऑर्डिनेट्स में विभिन्नता पाये जाने के कारण तथा डीजीपीएस सर्वेक्षण से प्राप्त को–ऑर्डिनेट्स वैज्ञानिक व तकनीकि रूप से सामान्य को–ऑर्डिनेट्स से अधिक उपयुक्त एवं त्रुटियों से रहित होने के फलस्वरूप डीजीपीएस को–ऑर्डिनेट्स के आधार पर खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आशय पत्र जारी किये जाने हेतु इस विभाग से अनुरोध किया गया।

2.13 उक्त पत्र में निहित तथ्यों का परीक्षण किये जाने उपरान्त तथा जारी अधिसूचना व एनएमडीसी के द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र को डीजीपीएस को–ऑर्डिनेट्स में व्यापक भिन्नता होने के फलस्वरूप भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 में आवश्यक संशोधन हेतु विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.2019 के माध्यम से भारत सरकार, खान मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया तथा पुराने वन कंपार्टमेंट के स्थान पर नये वन कंपार्टमेंट नंबरों के आधार पर संशोधन करते हुए इस विभाग के प्रस्ताव पत्र दिनांक 26.12.2020 पर यथोचित कार्यवाही किये जाने हेतु विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 26.03.2021 द्वारा भारत सरकार, खान मंत्रालय को प्रेषित किया गया।

2.14 भारत सरकार, खान मंत्रालय के पत्र क्रमांक 4/2/200–M.VI, दिनांक 09.04.2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि इस विभाग के प्रस्ताव दिनांक 26.12.2020 एवं संशोधित पत्र दिनांक 26.03.2021 में निहित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 में आवश्यक संशोधन किया जाकर G.S.R. No. 119(E), दिनांक 18.02.2021 को संशोधित अधिसूचना जारी कर दिया गया है।

2.15 भारत के राजपत्र प्रकाशन G.S.R. No. 119(E), दिनांक 18.02.2021 को संशोधित अधिसूचना के परिपालन में मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी (एनसीएल) के पक्ष में MMDR Act, 1957 की धारा–17A(1A) के तहत् बैलाडीला डिपॉजिट क्रमांक–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर के निम्नलिखित क्षेत्र को 05 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क के पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन करने के लिए आरक्षित किया गया है :–

खनिज का नाम	स्थिति	क्षेत्र	पिलर	अक्षांश	देशांतर
1.	2.	3.	A	81°12'03.25650"E	18°43'38.32617"N
लौह अयस्क	बैलाडीला आरक्षित वन निक्षेप क्रमांक–4 जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़	646.596 हेक्टेयर	B	81°13'04.84428"E	18°43'38.52758"N
			C	81°13'06.24991"E	18°43'12.30677"N
			D	81°13'03.60782"E	18°43'12.27943"N
			E	81°13'07.02661"E	18°41'26.17920"N
			F	81°12'31.89279"E	18°41'48.22195"N
			G	81°12'02.90192"E	18°41'50.38796"N

2.16 एनसीएल के पत्र दिनांक 19.03.2021 के साथ वन मंडलाधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के पत्र दिनांक 26.02.2021 अनुसार खनिपट्टा स्वीकृति हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वनमंडल का नाम	वन कक्ष क्रमांक (पुराना)	वन कक्ष क्रमांक (नया)	कुल रकबा (हे. में)	खनिपट्टा हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	दक्षिण पश्चिक्षेत्र बचेली	665	1832	273.155	9.052
2		664	1833	190.017	104.332
3		663	1886	368.585	46.239
4		662	1885	389.901	160.862
5		666	1834	212.612	140.372
6		669	1842	193.670	32.917
7		667	1841	316.004	153.310
8		676	1826	232.561	0.512
			योग	2176.505	646.596

3/ भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.02.2021 अनुसार शासकीय उपकम की कंपनी मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पक्ष में MMDR Act. 1957 (यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(1A) के तहत् बैलाडीला डिपॉजिट कमांक–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर क्षेत्र को 05 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क का पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन करने के लिए आरक्षित किया गया है। क्षेत्र में मेसर्स एनएमडीसी लिमि. के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत था। पूर्वेक्षण कार्य के आधार पर एनएमडीसी ने क्षेत्र पर 107 मिलियन टन लौह अयस्क के माइनेबल भण्डार प्रमाणित किये हैं। प्रश्नाधीन क्षेत्र में लौह अयस्क खनन हेतु भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर ने पत्र दिनांक 26.07.2013 द्वारा मायनिंग प्लान अनुमोदित किया गया है।

4/ अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पक्ष में पैरा–2.15 एवं 2.16 की तालिका में उल्लेखित क्षेत्र पर MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(2A) के तहत 05 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया जाकर क्षेत्र में खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

5/ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जारी की जा रही इस अनुमति से उपर्युक्त आवेदित क्षेत्र पर प्रवेश करने या खनन कार्य करने का कोई अधिकार कंपनी को प्राप्त नहीं होगा।

संलग्नः–नक्शा।

26/06/2021

(कुन्दन कुमार बंजारे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
खनिज साधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 2–20/2005/12, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एफसी डिवीजन) पर्यावरण भवन सीजीओर काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, दूसरी मंजिल, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार ऑफिस कॉम्पलेक्स, पोस्ट विधान सभा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
5. महानिदेशक, सेफ्टी ऑफ माईन्स, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
6. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़।
7. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, खनिज भवन 10–3–311/ए. कैस्टल हिल्स मासाब टैंक, हैदराबाद।
8. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, जेल रोड, रायपुर।
9. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सोनाखान भवन, रिंग रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़,
10. कलेक्टर, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

11. गार्ड फाईल।

हस्ता/–
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

By Speed Post

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर–492 002

क्रमांक एफ 2–20/2005/12, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 MAY 2022

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड(एनसीएल),
ग्रीन विले सिटी, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
सेजबहार, बोरिया कला, शदाणी दरबार के सामने,
एनएच–30, रायपुर, छत्तीसगढ़–492015.

विषयः– जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला, डिपॉजिट नं.–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु–मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल)।

संदर्भः– 1. इस विभाग का समसंख्यक आशय पत्र दिनांक 26.06.2021 तथा 07.08.2021.
2. आपका पत्र क्रमांक No. NCL/HO/Dep-4/Lease/2021/970, Date 16.12.2021.

—::—

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के संदर्भित पत्र दिनांक 16.12.2021 के माध्यम से विभागीय पत्र दिनांक 26.06.2021 द्वारा जारी LoI के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति हेतु MoEF & CC में दिनांक 30.11.2021 को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिस पर MoEF & CC द्वारा ToR जारी करने हेतु दिनांक 14.12.2021 को एजेण्डा पॉइन्ट 1.4 के माध्यम से पॉवर पॉइंट प्रस्तुति को कहा गया उक्त प्रस्तुति के दौरान EAC कमिटी की अनुशंसा अनुसार विभाग द्वारा जारी LoI की अवधि जो 05 वर्ष है उसे MMDR, (Amenndment) Act, 2015 की धारा–8(A)(2) एवं खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 यथासंशोधित 2021 के नियम–73 के तहत 50 वर्ष का सांकेतिक अनुमोदन प्रदान करने जिससे वन एवं पर्यावरण स्वीकृति 50 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त की जा सके, बाबत् NCL द्वारा अनुरोध किया गया है।

2/ मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पत्र दिनांक 16.12.2021 के परिप्रेक्ष्य में जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला, डिपॉजिट नं. 4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु जारी विभागीय समसंख्यक आशय पत्र दिनांक 26.06.2021 तथा 07.08.2021 के अनुक्रम में एनसीएल के आवेदन दिनांक 16.12.2021 पर संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 11.03.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि एमएमडीआर एक्ट, 1957 (यथा संशोधित) की धारा–17A(2C) के तहत् राज्य शासन को खनिपट्टा स्वीकृति का अधिकार है। उक्त अधिनियम की धारा–17A(2A) एवं धारा–17A(4) के प्रावधानों के तहत् आरक्षण अवधि के भीतर खनिपट्टा स्वीकृत किया जाना है तथापि खनिपट्टा अवधि एमएमडीआर एक्ट, 1957 (यथा संशोधित) की धारा–8(A)(2) के तहत् परिभाषित होगी।

3/ एनसीएल के पत्र दिनांक 30.11.2021 के द्वारा भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक दंतेवाड़ा/लौह/खयो–1292/2021–रायपुर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा प्रश्नाधीन क्षेत्र बैलाडीला डिपॉजिट–4 का अनुमोदित माईनिंग प्लान (**Working proposal period**-From 1st Year To 5th Year) दिनांक 24.09.2021 को प्रस्तुत किया गया है।

4/ भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 18.02.2021 द्वारा NCL के पक्ष में लौह अयस्क के पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन के लिये डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र को धारा–17A(1A) के तहत 05 वर्षों के लिये आरक्षित किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्र दिनांक 02.12.2020 एवं संशोधित पत्र दिनांक 26.06.2021 द्वारा NCL के पक्ष में MMDR Act, 1957 (यथासंशोधित 2015) की धारा–17A(2A) के तहत 05 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया जाकर क्षेत्र में खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई है।

5/ शासकीय कंपनी को क्षेत्र आरक्षण किये जाने हेतु एमएमडीआर एक्ट 1957 (यथासंशोधित) की धारा–17A(1A) के प्रावधान निम्नानुसार है :–

Reservation of area for purpose of conservation-

"17A(1A) "The Central Government may in consultation with the State Governant, reserve any area not already held under any prospecting licence or mining lease, for undertaking prospecting or mining operation through a government company or corporation owned of controlled by it, and where it proposes to do so, it shall, by notification in the Official Gazatte, specify the boundrys of such area and the mineral or minerals in respect of which such area will be reserved."

उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना/प्रावधान अनुसार भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 18.02.2021 द्वारा NCL के पक्ष में लौह अयस्क के पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन के लिये प्रश्नाधीन क्षेत्र डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र को धारा–17A(1A) के तहत 05 वर्षों के लिये आरक्षित किया गया है।

6/ Ministry of Law and Justice द्वारा The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 में संशोधन करते हुए, The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021 जारी किया है, जो भारत का राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 28.03.2021 से प्रभावशील है जिसके अंतर्गत शासकीय कंपनियों को आरक्षण उपरांत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनिपट्टा अथवा कम्पोजिट लाइसेंस दिये जाने के संबंध में धारा–17A(2A) में निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किया गया है :–

Reservation of area for purpose of conservation-

17A(2A) "Where in exercise of the powers conferred by sub-section (1A) or sub-section (2), the central Government or the State Government, as the case may be reserves any area for undertaking prospecting or mining operations or prospecting operations followed by Mining operations, the State Government shall grant prospecting licence, mining lease or composite licence, as the case may be, in respect of such area to such government company or corporation within the period specified in this section:"

7/ एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा–8A(2) में खनिपट्टा अनुदत्त करने की कालावधि के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान दिये गये है :–

Period of grant of a mining lease for minerals other than coal, lignite and atomic minerals.

8A(2) "On and from the date of the commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, all mining lease shall be granted for the period of fifty years."

8/ Ministry of Mines द्वारा खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 में संशोधन करते हुए, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जारी किया गया है, जो भारत का राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 02.11. 2021 से प्रभावशील है, जिसके अंतर्गत सरकारी कंपनियों को प्रदत्त खनन पट्टे की अवधि के संबंध में नियम, 73(1) में निम्नानुसार प्रावधान किये गये है :–

73 .Period of mining lease granted to Governmet companies or corporation on or after 12th January,- 2015

"(1) All mining leases granted to a Government company of corporation for minerals shall be for a period of fifty years."

9/ उपर्युक्त पैरा में वर्णित तथ्यों एवं एमएमडीआर एक्ट, 1957 (यथा संशोधित) की धारा–8A(2), धारा–17A(2A) तथा खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 के नियम, 73(1) के प्रावधानों के तहत् विचारोपरांत राज्य शासन, एतद्द्वारा, जारी आशय पत्र दिनांक 26.06.2021 तथा 07.08.2021 के अनुक्रम में मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पक्ष में जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र पर 50 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति प्रदान करने हेतु सैद्धांतिक निर्णय लिया जाकर निम्नलिखित शर्तों के अधीन संशोधित आशय पत्र जारी करता है।

9.1 NCL द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से विषयांतर्गत क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय अनुमति/स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 के तहत 05 वर्षों के लिये आरक्षित अवधि के भीतर खनिपट्टा स्वीकृति की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

9.2 भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जारी किये जाने वाले आशय-पत्र से NCL, को आवेदित क्षेत्र पर प्रवेश करने या खनन कार्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जब तक कि NCL को क्षेत्र में भूमि प्रवेश हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती।

10/ NCL को प्रश्नाधीन क्षेत्र का खनिपट्टा स्वीकृत किये जाने पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना होगा :-

10.1 NCL को राज्य शासन के साथ खनिपट्टा का अनुबंध निष्पादन एवं माईन डेव्हलपमेंट एण्ड प्रोडक्शन एग्रीमेंट (MDPA) का निष्पादन करना होगा।

10.2 NCL द्वारा राज्य सरकार को एमएमडीआर एक्ट, 1957 (यथा संशोधित) की अनुसूची-5 में दी गई दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

10.3 NCL द्वारा खनिज(परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 के नियम, 74(1) एवं 74(2) के प्रावधानों के तहत निर्धारित अन्य राशि का संदाय करेगा।

10.4 NCL द्वारा किसी विधि के अधीन केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित कर/लेवी राशि का भुगतान केन्द्रीय/राज्य सरकार को किया जाएगा।

10.5 NCL द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान में उल्लेखित शर्तों तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन प्राप्त वन एवं पर्यावरणीय अनुमति/स्वीकृति का पालन करेगा।

10.6 NCL द्वारा आवेदित क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल (यदि कोई हो तो) तथा मार्ग के समीप उत्खनन का कार्य प्रतिबंधित दूरी को छोड़ते हुए किया जाएगा।

11/ इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.06.2021 तथा 07.08.2021 द्वारा जारी आशय पत्र में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

4/5/22
(पुष्पा साहू)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
खनिज साधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 2-20/2005/12, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एफसी डिवीजन) पर्यावरण भवन सीजीओर काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, दूसरी मंजिल, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार ऑफिस कॉम्पलेक्स, पोस्ट विधान सभा, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर उनके पत्र क्र. RPR-1309/01/2016-MP, Date14.07.2021 के संदर्भ में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. महानिदेशक, सेफ्टी ऑफ माईन्स, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
6. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़।

7. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, खनिज भवन 10–3–311/ए, कैस्टल हिल्स मासाब टैंक, हैदराबाद।
8. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, जेल रोड, रायपुर।
9. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सोनाखान भवन, रिंग रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़,
10. कलेक्टर, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

11. गार्ड फाईल।

हस्ता./–
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

BOARD & COMPANY AFFAIRS

NOTE

09.08.2021

Sub:- **Draft Minutes of the 48th Board Meeting of NMDC-CMDC Ltd. (NCL), a subsidiary company.**

A copy of draft Minutes of the 48th meeting of the Board of Directors of the NMDC-CMDC Ltd. held on 27.07.2021 at Raipur as forwarded by CEO, NCL, Raipur is placed opposite on the file for kind approval before circulation

A.S. Pardha Saradhi
Company Secretary

C M D &
Chairman, NCL

25/08/2021

CS
As amended please.

CEO-NCL

ITEM NO. 48/22: APPROVAL OF TECHNO ECONOMIC FEASIBILITY REPORT OF BAILADILA IRON ORE MINE DEPOSIT-4, PREPARED BY NMDC LTD:

The Board was briefed about the preparation of the Techno Economic Feasibility Report (TEFR) of Bailadila Iron Ore Deposit 4, Bacheli, Distt. Dantewada in view of the reservation of the said mines for NCL by Government of India.

It was informed that according to TEFR, mine production capacity of Deposit number -4 in the initial five years would be limited to 2 MTPA, it has been proposed to deploy smaller equipment for mine working through small scale mining. As per TEFR after five years, when mine capacity will be upgraded to 7 MTPA, it is proposed to replace smaller equipment with higher capacity equipment and shall be exploited departmentally. The Board took note of the same and passed the following resolution on the matter:

"**RESOLVED THAT** the in-principle approval of Board be and is hereby accorded to the conceptual process as indicated in the TEFR May 2021 for Bailadila Iron Ore Deposit 4.

RESOLVED FURTHER THAT

The CEO of the company be and is hereby authorized to do all such things, deeds and acts as may be required in connection with the approval of the Board on the aforesaid matter."

ITEM NO. 48/24: REFUND OF AMOUNT INCURRED BY NMDC LTD IN RESPECT OF BAILADILA IRON ORE DEPOSIT-13

The matter has was discussed along with payment of stamp duty and registration charges. It was informed that the matter had been again reviewed by the RP Department of NMDC Limited during its review meeting with the Company on 27.05.2021 and instructed to put the same before the Board of NMDC-CMDC Limited. The Board decided that the payment to NMDC will be made on availability of funds.

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH 10AA 250972

शपथ पत्र

मैं पद्मनाभ नाईक, पिता श्री चंद्रशेखर नाईक, उम्र–56 वर्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड शपथपूर्वक निम्न कथन करता हु कि :–

1. यह कि, मैं पद्मनाभ नाईक, पिता श्री चंद्रशेखर नाईक, उम्र–56 वर्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड, बोरियाकला, रायपुर, छ ग के पद पर कार्यरत हूँ तथा राजस्व विभाग के साथ के भू अर्जन कार्य हेतु अधिकृत हूँ।

2. यह कि एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा भू अधिग्रहण हेतु जो भी जानकारी दी जा रही है वह सत्य एवं सही है।

3. यह कि उक्त शपथ पत्र को भू अर्जन के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सत्यापन

मैं पद्मनाभ नाईक, पिता श्री चंद्रशेखर नाईक, उम्र–56 वर्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनएमडीसी–सीएमडीसी सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र की कंडिका 1 से 3 तक की अन्तर्वस्तु मेरे स्वतः ज्ञान व विश्वास से सत्य एवं सही है।

प.च. नाईक 25/5/23

(पद्मनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

नाक 4088 दिनांक 28/8/23 कीमत 20 Rs.

विक्रेता

पिता/पति

निवासी

भार्फत

क्रेता

पिता/पति/पत्नी

निवासी

वास्ते

07 MAR 2023

कविता ठाकुर स्टाम्प वेंडर
सिविल कोर्ट, रायपुर (छ
27 004